


**Karnataka Bank Ltd.**  
 Your Family Bank. Across India.

 Date:        
**खाता खोलने का फॉर्म (जमा खाता)**  
 रेजीडेंट खातों के लिए भाग । आवेदन का प्रकार: नया  
 (केवल नए ग्राहक द्वारा भरा जाना है)

शाखा का नाम और पता

शाखा को शाखा के नाम और Sol आईडीके रबर स्टाम्प लगाना चाहिए

 CKYC नंबर            

 ग्राहक आईडी        

 खाता प्रकार:  सामान्य  सरलीकृत

 खाता संख्या            
**निर्देश**

- कृपया केवल बड़े अक्षरों में भरें। कृपया दो रबड़ों के बीच एक स्थान खाली छोड़ें। उपयुक्त बक्से पर टिक करें।
- कृपया दिए गए बॉक्स में एक नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटो चिपकाएं। पासबुक और नमूना हस्ताक्षर कार्ड में चिपकाने के लिए दो अतिरिक्त फोटो भी दें।
- नाबालिगों का खाता खोलने के लिए, जिनमें पहचान / पते का प्रमाण उपलब्ध नहीं है, पिता / माता / वास्तविक संरक्षक को ये प्रमाण प्रस्तुत करने हैं।
- अनपढ़ ग्राहकों के मामले में बाएं अंगूठे का निशान लगाना है।

**आवेदक के विवरण**

 प्रकार:  व्यक्तिगत  स्वामित्व  साझेदारी  लिमिटेड कंपनी  ट्रस्ट  HUF  अन्य (निर्दिष्ट करें)

 ग्राहक प्रकार:  सामान्य जनता  वरिष्ठ नागरिक  अल्पवयस्क  स्टाफ  स्टाफ है, तो स्टाफ संख्या          अन्य (निर्दिष्ट करें)

 नाम:  Mr.  Ms.  Mrs.

 जन्मतिथि:       लिंग:  पुरुष  महिला  ट्रांसजेंडर  धर्म:

आवेदक का नाम पिता से पहले का नाम (यदि कोई हो):

थपिता का नाम:

मां का नाम:

 पति-पत्नी / अभिभावक का नाम:  Mr.  Ms.  Mrs.

 वैवाहिक स्थिति:  शादीशुदा  अविवाहित  अन्य

प्रोप्राइटरशिप / पार्टनरशिप फर्म / लिमिटेड कंपनीज / ट्रस्ट / एसोसिएशन / सोसाइटी / LLP की स्थिति में

फर्म / संस्था का नाम:

स्थापना दिनांक:

पंजीकरण संख्या:

पंजीकरण प्राधिकरण:

पंजीकरण का स्थान:

 प्रोप्राइटरशिप / पार्टनरशिप फर्म / लिमिटेड कंपनीज / ट्रस्ट / एसोसिएशन / सोसाइटी / LLP की स्थिति में  हाँ  नहीं

 कंपनी होने पर के मामले में क्या आप ही मालिक हैं  हाँ  नहीं

गतिविधि / व्यवसाय का प्रकार:

व्यवसाय में अपेक्षित वार्षिक कमाई: ₹

(यदि कोई भी साझेदार / निदेशक / ट्रस्टी / सदस्य भारत से बाहर के हैं, तो FATCA/CRS घोषणा पत्र जमा करें।)

 पत्राचार का पता: आवासीय  कार्यालय  व्यापार  निवासी / व्यापार  अनिर्दिष्ट 

लैंडमार्क / स्ट्रीट:

शहर: जिला: राज्य: पिन:

टेलीफोन नंबर:

मोबाइल नंबर:

फैंक्स नंबर:

ईमेल:

 च्छाया पता: जो पत्राचार पते में भी दिया है: हाँ  नहीं  (यदि नहीं दिया है, तो नीचे प्रस्तुत करें)

लैंडमार्क / स्ट्रीट:

शहर: जिला: राज्य: पिन:

टेलीफोन नंबर:

मोबाइल नंबर:

**अतिरिक्त जानकारी**

 आय (सकल): ₹ मासिक  वार्षिक  आय का स्रोत:

 शैक्षिक योग्यता:  निरक्षर  अंडर ग्रेजुएट  स्नातक  परा-स्नातक  पेशेवर  अन्य (निर्दिष्ट करें)

व्यवसाय: खाते में अपेक्षित वार्षिक कमाई: ₹

यदि नौकरी करते हैं: तो संगठन का नाम: पद/पेशा:

नाम और पता:

**PAN / TAN / UID (आधार) / GSTIN विवरण**

PAN No.

यदि आपके पास PAN नहीं है तो कृपया फॉर्म 60/61

TAN No.

भरें,

UID No.

(आधार कार्ड नंबर)

आईडी ग्राहक में दिए गए अनुसूच

यदि लागू हो

साझेदारी फर्म / लिमिटेड कंपनियों / भूस्वामियों / ट्रस्टों / संघों के लिए, कृपया थ्रूड्रॉप 1201 में अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत करें।

एसएमएस अलर्ट / ई-स्टेटमेंट भेजने के लिए मोबाइल और ई-मेल पते उपयोग किए जाएंगे

चालू खाते की स्थिति में अधिकृत व्यक्ति का मोबाइल नंबर दें।

**GSTIN** 

**पहचान विवरण: आधिकारिक तौर पर मान्य दस्तावेज**

फोटो पहचान और पते के प्रमाण के लिए, दिए गए दोनों कॉलमों में से एक-एक दस्तावेज (कृपया उपयुक्त बॉक्स पर टिक करें और नीचे विवरण दें):

पहचान का प्रमाण:  पासपोर्ट  PAN कार्ड  ड्राइविंग लाइसेंस  मतदाता पहचान आईडी

UIDAI द्वारा जारी आधार कार्ड / पत्र  नरेगा द्वारा जारी किया गया जॉब कार्ड  अन्य .....

नंबर: ..... जारी करने का स्थान..... जारी करने का दिनांक..... समय—समाप्ति दिनांक:.....

पता प्रमाण:  पासपोर्ट  ड्राइविंग लाइसेंस  मतदाता पहचान आईडी  UIDAI द्वारा जारी आधार कार्ड / पत्र

नरेगा द्वारा जारी किया गया जॉब कार्ड  अन्य .....

नंबर: ..... जारी करने का स्थान..... जारी करने का दिनांक..... समय—समाप्ति दिनांक:.....

उपरोक्त दस्तावेज न होने पर कम जोखिम वाले ग्राहकों के लिए 'सरलीकृत उपायों' के तहत अन्य स्वीकार्य दस्तावेजों के बारे में जानने के लिए, कृपया बैंक अधिकारियों से संपर्क करें।

कृपया पहचान प्रमाण और पता प्रमाण दोनों की एक-एक स्व-हस्ताक्षरित फोटोकॉपी संलग्न करें। सत्यापन के लिए इनके मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे

**बैंक खाते में आधार नंबर लिंक करना / प्रस्तुत करना और कठज्जलाम प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र- (NPCI मैपिंग\*)**

**To**

आखा प्रबंधक

..... बैंक

..... आखा

1. .... (खाता धारक का नाम) पुत्र/ पत्नी/ पुत्री ..... निवासी

..... इसके द्वारा कर्नाटक बैंक को न्य। से मेरा आधार नंबर, नाम और अंगुली छाप/आँख की पुतली को प्रामाणीकरण करने की अनुमति देता/देती हूँ। मैं इस कर्नाटक बैंक ने मुझे सूचित किया है कि मेरी पहचान की जानकारी का उपयोग केवल खाता खोलने के लिए किया जाएगा और मेरे बायोमेट्रिक्स को संग्रहीत / साझा नहीं किया जाएगा और केवल प्रामाणीकरण के उद्देश्य से सीआईडीआर को जमा किया जाएगा।

मैं स्वेच्छा से अपना आधार नंबर अपने प्रस्तावित खाता नंबर से जोड़ना चाहता/चाहती हूँ

आधार / यूआईडी पत्र के विवरण इस प्रकार हैं: (स्वप्रमाणित प्रति संलग्न)

आधार / युआईडीआई नंबर .....

आधार धारक का नाम जैसा आधार कार्ड में है .....

2. मैं यहाँ यह बताना चाहता/चाहती कि मुझे आधार पर आधारित प्रामाणीकरण प्रणाली से खुद को प्रमाणित करने में कोई आपत्ति नहीं है और इसके लिए आधार नियम, 2016 और विनियमन के अंतर्गत अपनी स्वेच्छिक सहमति देकर, अपने बैंक खाते में अपना आधार नंबर डालने के लिए बनाए गए नियम और आधार के लिए आधार आधारित प्रामाणीकरण के लिए मेरी पहचान की जानकारी (आधार संख्या, बायोमेट्रिक जानकारी और जनसंख्या सम्बंधित जानकारी) जिसका उद्देश्य खाते का संचालन और सब्सिडी, लाभ और सेवाओं या बैंकिंग कार्यों से संबंधित किसी अन्य सुविधा के वितरण सहित बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाना है

3. मैं अपने मौजूदा सभी बैंक खातों और अपनी ग्राहक प्रोफाइल में अपना आधार नंबर डालने की स्वेच्छिक सहमति देता/देती हूँ

खाता नंबर 1: ..... खाता नंबर 2: .....

खाता नंबर 3: ..... खाता नंबर 4: .....

4. मैं अपने आधार से जुड़े बैंक खाते का उपयोग करके उन योजनाओं का सरकारी भुगतान प्राप्त करने के लिए अधिकृत करता/करती हूँ जिनका/जिनकी मैं पात्र हूँ और / या आधार आधारित जानकारी का उपयोग करके कोई अन्य भुगतान कर रहा हूँ और भारतीय रा. त्रिय भुगतान निगम (एन पी सी आई) मेरा प्राथमिक खाता मैप कर सकता है एन पी सी आई के आधार मैप का उपयोग कर के

5. नीचे दिए गए विकल्पों में से केवल एक पर निशान लगाइये एन पी सी आई मैप से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी बी टी) लाभ प्राप्त करने क लिए

○ मेरा खाता नंबर ..... मैप करें एन पी सी आई पर ताकि भारत सरकार द्वारा दी जा रही प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी बी टी) प्राप्त करने में सक्षम बन सकूँ। मैं समझता/समझती हूँ कि यदि मुझे एक से ज्यादा लाभ हस्तांतरण देय हैं तो मुझे सभी लाभ हस्तांतरण इसी खाते में प्राप्त होंगे।

○ मेरा अन्य बैंक के साथ एक खाता है जो आधार से जुड़ा हुआ है और केवल वही खाता एनपीसीआई मैप के लिए और भारत सरकार से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाएगा।

6. मैं आपसे यह भी अनुरोध करता/करती हूँ कि आप मेरा मोबाइल नंबर पंजीकृत करें ..... मेरे उपरोक्त खाता संख्या पर। इस मोबाइल नंबर पर एसएमएस अलर्ट भेजे जा सकते हैं। कृपया मेरी ईमेल-आईडी भी पंजीकृत करें .....

7. मुझे जानकारी के स्वरूप के बारे में समझाया गया है जो प्रामाणीकरण के दौरान साझा की जा सकती है। मुझे यह भी समझाया दिया गया है कि बैंक को दी गई मेरी जानकारी केवल उपरोक्त उल्लिखित कानून के अनुसार ही उपयोग की जाएगी, किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी। मैं स्वेच्छा से आधार / यूआईडी नंबर या इसकी प्रति क्रेडिट सूचना कंपनियों / नोडल एजेंसियों जो की सब्सिडी योजनाएं / सरकारी सहायक कंपनियों जो गारंटी / क्रेडिट नियामक / विनियामक / प्रवर्तन एजेंसियां / कराधान और पुलिस और भारत सरकार या राज्य के अन्य विभागों के अधिकारियों की जांच, आवश्यकतानुसार और जब आवश्यक हो, से साझा करने के लिए अपनी सहमति देता/देती हूँ। यदि आप ऊपर बताई गई किसी भी एजेंसियों की आवश्यकता का अनुपालन करते हैं, तो मैं आपको गोपनीयता के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराऊंगा।

8. मैं इसके द्वारा यह घोषित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सभी जानकारी सच्ची, सही और सम्पूर्ण है

भवदीय/भवदीया

(हस्ताक्षर / ग्राहक के अंगूठे का निशान)

**कृपया निम्न प्रकार का खाता खोलें**

बचत बैंक खाता-सामान्य	<input type="checkbox"/>	चालू खाता-सामान्य (MAB ₹5,000 (u&M)/₹3,000 (r&su))	<input type="checkbox"/>
KBL&वनिता (विशेष 1 रूप से 18 व र्क और उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए)	<input type="checkbox"/>	चालू मनी पर्ल (MAB ₹50,000)	<input type="checkbox"/>
KBL&वेतन विशेष अधिकार (वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए)	<input type="checkbox"/>	चालू मनी रूबी (MAB ₹1,00,000)	<input type="checkbox"/>
KBL&तरुण (18-25 व र्क की उम्र के छात्रछात्राओं के लिए)	<input type="checkbox"/>	चालू मनी डायमंड (MAB ₹3,00,000)	<input type="checkbox"/>
KBL&किशोर (10-18 व र्क की उम्र के बच्चों के लिए)	<input type="checkbox"/>	चालू मनी डायमंड Iyl (MAB ₹5,00,000 & DMB ₹3,00,000)	<input type="checkbox"/>
SB-सुगमा (मूल बचत बैंक जमा खाता)	<input type="checkbox"/>	चालू-मनी प्लेटिनम (MAB ₹10,00,000 & DMB ₹5,00,000)	<input type="checkbox"/>
SB-ब्लैट(बीमा लिंक्ड बचत बैंक खाता)	<input type="checkbox"/>	अन्य, कृपया निर्दि ट करें	<input type="checkbox"/>
SB-मनी सैफायर (विशेष अधिकारैटए MAB- ₹ 10,000)	<input type="checkbox"/>		
SB-मनी रूबी (विशेष अधिकारैटए MAB- ₹ 1,00,000)	<input type="checkbox"/>		
SB-मनी प्लैटिनम (विशेष अधिकारैटए MAB- ₹ 3,00,000)	<input type="checkbox"/>		

कृपया खोलने का खाता प्रकार पर चुनें विभिन्न योजनाओं के बारे में अधिक जानने के लिए, कृपया बैंक अधिकारियों से संपर्क करें।

M - मेट्रोय U - हरीय SU - अर्ध हरीय R - ग्रामीण MAB - मासिक औसत ो र्य DMB - दैनिक न्यूनतम ो र्य डुल्क निर्धारित AB और DMB का रखरखाव न होने पर लागू होगा

**सावधि जमा (फिक्स्ड / ABHYUDAYA सर्टिफिकेट)**

राशि: ₹ ..... (शब्दों में).....

अवधि:..... व र्क: ..... महीने: ..... दिन.

मेरा आपसे अनुरोध है कि जमा राशि का स्वतः नवीनीकरण करें हों  नहीं

विशि ट निर्देशों की अनुपस्थिति में उसी अवधि के लिए नियत दिनांक पर जमा का नवीनीकरण स्वतः किया जाएगा।

परिपक्वता निर्देश: <input type="checkbox"/> स्वतः नवीनीकरण*मूलधन <input type="checkbox"/> स्वतः नवीनीकरण*मूलधन और ब्याज <input type="checkbox"/> स्वतः नवीनीकरण*₹..... <small>नवीकरण परिपक्वता दिनांक को प्रवर्धित ब्याज दर पर किया जाएगा</small>	स्वतः नवीनीकरण अवधि व र्क: ..... महीने: ..... दिन. <input type="checkbox"/> मुझे /हमें जरूरी सूचना परिपक्वता के समय दी जानी चाहिए	भुगतान निर्देश (एफडी पर ब्याज / बंद होने पर परिपक्वता लाभ / ो र्क राशि): <input type="checkbox"/> मेरे खाता संख्या में क्रेडिट से। <input type="checkbox"/> बैंकर के चेक / डिमांड ड्राफ्ट से <input type="checkbox"/> NEFT या RTGS से
ब्याज का भुगतान (केवल एफडी योजना के लिए): <input type="checkbox"/> मासिक <input type="checkbox"/> वार्षिक <input type="checkbox"/> त्रैमासिक <input type="checkbox"/> परिपक्वता के समय <input type="checkbox"/> अर्धवार्षिक	पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी के लिए, एसएमएस / ई-मेल अलर्ट परिपक्वता पर डिफॉल्ट रूप से भेजे जाएंगे।	बैंक का नाम: खाता का नाम: IFS कोड: खाता संख्या: खाताधारक का नाम:

वरि ट नागरिकों के संयुक्त खातों के लिए लागू

वरि ट नागरिक (प्रथम धारक) के द्वारा घो णा: मैं इसके माध्यम से घो णा करता/करती हूँ कि श्री / श्रीमती / कुमारी ..... (संयुक्त खाताधारक) मेरा / मेरे ..... है/हैं (संबंध बताएं) और मुझे सभी उद्देश्यों (जिसमें टीडीएस भी णामिल है) के लिए जमा राशि का पूरा मालिक माना जाएगा।

मेरे चालू खाता संख्या से जैकटौती करें  ..... जमाकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

**आवर्ती जमा**

मासिक किस्त: ₹.....  जारी निर्देश (यदि कोई हो) डेबिट खाता संख्या

अवधि: ..... व र्क: ..... महीने  परिपक्वता के समय खाता संख्या के क्रेडिट लाभ

**LSOK VKO'D**

1. एटीएम-कम-डेबिट कार्ड :  घरेलू उपयोग के लिए  अंतर्रा द्वीय उपयोग  
कार्ड उपयोगकर्ता का नाम पहला .....  
दूसरा .....

डेबिट कार्ड नंबर

डेबिट कार्ड नंबर

2. मोबाइल बैंकिंग: मोबाइल बैंकिंग सेवा को भाग -1 में उल्लिखित मोबाइल नंबर पर सक्षम किया जाना है  आवश्यक  आवश्यक नहीं

3. एसएमएस अलर्ट\*रु भाग । में उल्लिखित मोबाइल नंबर पर एसएमएस अलर्ट,  आवश्यक  आवश्यक नहीं  
(हालांकि, एटीएम/ इंटरनेट बैंकिंग / मोबाइल बैंकिंग लेनदेन पर डिफॉल्ट रूप से एसएमएस अलर्ट भेजे जाएंगे)

4. चेकबुक:  आवश्यक चेक पत्रक संख्या.....  आवश्यक नहीं वैयक्तिकृत चेकबुक:  आवश्यक

5. स्टेटमेंट फ्रीक्वेंसी: बैंक के द्वारा दिए गए मुफ्त में दिए जाने वाले मासिक विवरण के अलावा खाते का विवरण।  
 दैनिक  साप्ताहिक  पाक्षिक  मासिक

6. ई-स्टेटमेंट: ई-स्टेटमेंट को भाग । में दिए ई-मेल आईडी पर भेजा जाना है  आवश्यक  आवश्यक नहीं  
(चालू खाते के लिए) यदि लेनदेन की संख्या पंद्रह दिनों के दौरान 100 से अधिक है, तो स्प ट ो र्क स्थिति की सूचना ई-मेल के माध्यम से दी जाएगी। (महीने के 15वें और अंतिम दिन):  आवश्यक  छवज त्पुनपतक

7. इंटरनेट बैंकिंग:  आवश्यक  आवश्यक नहीं (कृपया आवेदन पत्र भरने के लिए पेज संख्या 13 देखें)

8. जारी निर्देश: जारी निर्देश यदि कोई हो  आवश्यक  आवश्यक नहीं

9. पॉइंट ऑफ सेल ( ष्टे): ष्टे मशीन (चालू खाते के लिए)  आवश्यक  आवश्यक नहीं

10. डीमैट खाता ररु  आवश्यक  आवश्यक नहीं

अंतर्रा द्वीय उपयोग के लिए अलग से आवेदन पत्र जमा करना है

ब्रांच क्रमांक संख्या

आवश्यक नहीं

क्रमांक संख्या 8 से 10 की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए कृपया अलग-अलग आवेदन पत्र भरने के लिए कृपया बैंक अधिकारियों से संपर्क करें

# सेवा केवल चयनित णाखाओं पर उपलब्ध है।  
\* लागू डुल्क मेरे / हमारे खाते से लिए जाएंगे। वार्षिक डुल्क डेबिट कार्ड जारी करने की तारीख के दूसरे व र्क से लागू होंगे।  
\*\* लागू एसएमएस अलर्ट डुल्क मेरे / हमारे खाते से लिए जाएंगे।

मार्कर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान



**परिचय विवरण (यदि कोई हो)**

मैं..... ग्राहक आईडी नंबर [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] पुं ट करता/करती हूँ कि मैं कर्नाटक बैंक के खाता संख्या [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] का पिछले महीने / व र् से धारक हूँ और आवेदक को ..... महीने / व र् से अधिक समय से व्यक्तिगत रूप से जानता / जानती हूँ और और उसकी उपरोक्त पहचान और पते की पुं ट करता / करती हूँ।

दिनांक: ..... / ..... / ..... परिचयकर्ता के हस्ताक्षर (शाखा प्रमुख / सहायक शाखा प्रमुख) के द्वारा सत्यापित हस्ताक्षर

शाखा प्रमुख / सहायक शाखा प्रबंधक (एबीएम) के द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र:

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि खाता स्वयं के परिचय के आधार पर खोला गया है और पहचान / पते के प्रमाण दस्तावेजों को मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापित किया गया है।

.....  
शाखा प्रमुख / एबीएम

**अन्य खातों के विवरण 'अनिवार्य' (उपयुक्त बॉक्स चुनें)**

मैं / हम यहां घो ाणा करता हूँ / करते हैं कि मेरा/ हमारा आपके बैंक में निम्न खाते हैं/ थे, विवरण नीचे दिए गए हैं।

शाखा का नाम:	खाता प्रकार/ सुविधाएं	खाता संख्या	बंद कर दिया था या नहीं	
			हाँ	नहीं
			हाँ	नहीं
			हाँ	नहीं

यदि आपके दो से अधिक खाते हैं, तो अलग पत्रक में विवरण दें

मुझे / हमें ग्राहक आईडी/खाता संख्या याद नहीं है; हालाँकि, मेरा / हमारा आपकी ..... शाखा में खाता है/ खाता था।  
 मैं / हम यहां घो ाणा करता हूँ / करते हैं कि मेरा/ हमारा आपके बैंक में कोई अन्य खाता नहीं है।  
 मैं / हम यहां आपको अधिकृत करता हूँ / करते हैं कि आपके बैंक में मेरे/ हमारे सभी खाते एक ग्राहक आईडी से लिंक करें।

दिनांक: ..... / ..... / .....

स्थान .....

जमाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

घो ाणा: मैं भारत से बाहर के देश का टैक्स देने वाला निवासी हूँ; हाँ  / नहीं

यदि 'हां' तो नीचे के विवरण प्रस्तुत करें:

रा ट्रीयता:  भारतीय  अन्य; आईएसओ 3166 देश का कोड [ ] [ ] देश का नाम: \_\_\_\_\_)

जन्म स्थान/ाहर \_\_\_\_\_

आईएसओ 3166 देश का जन्म कोड: [ ] [ ] देश का नाम: \_\_\_\_\_

आईएसओ 3166 टैक्स निवास का देश कोड: [ ] [ ] देश का नाम: \_\_\_\_\_

टैक्स पहचान संख्या या कार्यात्मक समतुल्य: \_\_\_\_\_

विवरण के अधिकार क्षेत्र में पता, जहां आवेदक टैक्स उद्देश्यों के लिए भारत के बाहर निवासी है

वर्तमान / स्थायी / विदेशी पता विवरण के समान  पत्राचार / स्थानीय पते के विवरण के समान

पंक्ति 1: .....

पंक्ति 2: .....

पंक्ति 3: .....ाहर / नगर / गाँव : .....

राज्य: .....जिप / पोस्टल कोड ..... देश का नाम: .....

जमाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

**नाबालिगों के खातों के लिए (Excluding KBL Kishore Accounts)**

गार्जियन प्रकार  पिता  मां  कोर्ट से नियुक्त  अन्य (संबंध).....

ग्राहक आईडी [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] KYC नंबर [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

अभिभावक का नाम ..... पहला नाम ..... मध्य नाम ..... केंज छतम .....

पता .....

हार: .....जिला .....

मैं यहां यह घो ाणा करताह करती हूँ कि उस नाबालिग की जन्मतिथि जो मेरा/ मेरी ..... है ...../..... है और मैं दिनांक ...../..... / .....

..... को अदालत के आदेश से नियुक्त उसका/उसकी वास्तविक और कानूनन अभिभावक हूँ (कॉपी संलग्न है)। मैं उपरोक्त खाते में किसी भी विवरण के सभी भवि य के लेनदेन में उक्त नाबालिग का प्रतिनिधित्व करूंगा, जब तक कि उक्त नाबालिग बालिग नहीं हो जाता है। इसके अलावा, नाबालिग को इस तथ्य से अवगत कराया गया है कि बालिग होने पर वह व्यक्तिगत रूप से शाखा जाएगा/जाएगी और स्वयं खाता उपयोग करने की औपचारिकता पूरी करेगा/करेगी। मैं उसके खाते में मेरे द्वारा किए गए किसी भी निकासी / लेनदेन के लिए उपरोक्त नाबालिग के दावे के खिलाफ बैंक की निंदा करता हूँ

POI:  पासपोर्ट  PAN कार्ड  झइविंग लाइसेंस  वोटर आईडी.....

जारी करने का स्थान:..... जारी करने का दिनांक:..... समाप्त दिनांक:.....

अभिभावक के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

संयुक्त खाता धारकों के विवरण  / रिश्तेदार व्यक्ति के विवरण-असाइनी  अधिकृत प्रतिनिधि

संयुक्त खाताधारक-1 CKYC नंबर

मुख्य खाताधारक से संबंध: ..... ग्राहक आईडी

नाम: ..... S/o. D/o. W/o .....  
मां का नाम ..... जन्मतिथि: .....  
पता .....

शिक्षा ..... व्यवसाय ..... Annual Income ` .....

Identity Document ..... संख्या ..... Issuing Authority ..... Place of Issue : .....

घो णा: मैं भारत से बाहर के देश का टैक्स देने वाला निवासी हूँ: हां  / नहीं

If 'Yes', submit FATCA / CRS declaration form.

संयुक्त खाताधारक-2 CKYC नंबर

मुख्य खाताधारक से संबंध: ..... ग्राहक आईडी

नाम: ..... S/o. D/o. W/o .....  
मां का नाम ..... जन्मतिथि: .....  
पता .....

शिक्षा ..... व्यवसाय ..... Annual Income ` .....

Identity Document ..... संख्या ..... Issuing Authority ..... Place of Issue : .....

घो णा: मैं भारत से बाहर के देश का टैक्स देने वाला निवासी हूँ: हां  / नहीं

If 'Yes', submit FATCA / CRS declaration form.

**संचालन प्रकार**

केवल स्वयं  या तो या उत्तरजीवी  पूर्व या उत्तरजीवी  HUF का करथा

संयुक्त रूप से  अलग-अलग  वास्तविक संरक्षक की ओर से नाबालिग  अन्य

कृपया पेज-6 में घो णा के अंतर्गत टिप्पणी संख्या 10 देखें

**नामांकन**

मैं/हम इस खाते में कोई नॉमिनी नहीं चाहिए

1st आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान	2nd आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान	3rd आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
--	--	--

**नामांकन फॉर्म**

बैंक जमाओं के संबंध में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45<sup>1</sup>। और बैंकिंग कंपनियों के (नामांकन) नियमों, 1985 के नियम 2 (1) नियम, 1985 के तहत नामांकन।

मैं / हम ..... निम्नलिखित व्यक्ति को नॉमिनी बना रहे हैं, जिसे मेरे / हमारे / नाबालिग की मृत्यु की स्थिति में जमा राशि कर्नाटक बैंक के द्वारा वापस की जा सकती है, विवरण नीचे दिए गए हैं (शाखा/ कार्यालय का नाम और पता, जिसमें जमा किया गया है)

नॉमिनी का नाम: .....  
त्वमाकर्ता के साथ संबंध: ..... उम्र..... व ि यदि नाबालिग है, तो ' जन्मतिथि ...../...../.....  
पता: .....  
शहर: ..... पिन ..... राज्य: .....

इस दिनांक को नामांकित व्यक्ति नाबालिग होने से मैं / हम श्री / श्रीमती नियुक्त कर रहे हैं.....  
उम्र..... व ि  
पता : .....

मेरी/हमारी/नॉमिनी नाबालिग होने पर उसकी मृत्यु होने पर नॉमिनी की ओर से जमा राशि प्राप्त करने के लिए।

ukekadu iathdj,k ll;k

दिनांक: ...../...../.....  
स्थान..... जमाकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

1st गवाह के हस्ताक्षर ** } नाम: पता:	2nd गवाह के हस्ताक्षर ** } नाम पता:
--	---

\* जमा नाबालिग के नाम से होने पर नामांकन पर नाबालिग की ओर से कानूनन अधिकृत व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।  
\*\* अंगूठे का निशान दो लोगों के द्वारा सत्यापित किया जाएगा। (गवाह)

**घो णा**

1. मैं / हम जमा योजना के नियमों को पढ़ और समझ चुके हैं और समय-समय पर लागू होने वाले और किसी भी संशोधन के साथ बैंक के नियमों का अनुपालन करने और सहमत होने के लिए सहमत हैं। मैं / हम बैंक को किसी भी तीसरे पक्ष के माध्यम से दिए गए विवरण आवश्यक होने पर सत्यापित करने के लिए अधिकृत करते हैं।
2. मैं / हम आपको चेक / ड्राफ्ट आदि जमा करने के लिए अधिकृत करता हूँ/ करते हैं, जो आपके / हमारी जोखिम जिम्मेदारी पर बैंक के नियमों के अनुसार संग्रह / पत्राचार के लिए आपको सौंपे जाते हैं और इस मामले में आपके द्वारा किए गए कोई भी कारण से किसी भी नुकसान के लिए आपको क्षतिपूर्ति करते हैं। मैं / हम आपको मेरे / हमारे अनुरोध के कारण या लागू दसों और आकरमिक ँलक पर ब्याज के साथ कमीशन, डेबिट े 1 राशि की वसूली के लिए भी अधिकृत करते हैं।
3. मैं / हम नए उत्पाद / व्यवसाय प्रचार अभियानों के बारे में मुझसे / हमसे संपर्क करने के लिए बैंक से सहमत हूँ/ हैं/ सहमत नहीं हूँ/ हैं।
4. मैं / हम इस बात से सहमत हैं कि बैंक मेरी / हमारी ओर से और अधिक सहमति की आवश्यकता के बिना मेरे/ हमारे खाते में कोई भी मूल्य वर्धित सेवा प्रदान कर सकता है।
5. मैं / हम नियमों के अनुसार मुझे / हमें आपूर्ति की गई चेक बुक संभालते हैं।
6. उपरोक्त जानकारी में कोई बदलाव होने पर मैं / हम बैंक को सूचित करता हूँ/करते हैं।
7. खाता बनाए रखने का उद्देश्य ..... है।
8. सर्वोत्स ऑफ फंड्स के लिए वित्तीय व र्ा के दौरान एक करोड़ और अधिक राशि के चेक का चार बार अस्वीकारने पर खाते के लिए कोई नई चेक बुक नहीं दी जाएगी। बैंक अपने विवेक पर ऐसे खाते को बंद करने पर भी विचार कर सकता है।
9. यदि बैंक जानकारी न देने और / या असहयोग के कारण उचित ज्ञल्व उपायों को लागू करने में असमर्थ है, तो बैंक उचित नोटिस जारी करने के बाद खाता बंद कर सकता है। मैं / हम यह मानते हैं कि स्थानांतरण या किसी अन्य कारण से पते के परिवर्तन की स्थिति में मैं / हम नया पता दो (2) सप्ताह में बैंक को बताऊंगा/ बताएंगे और प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार पते का नया प्रमाण प्रस्तुत करूंगा/ करेंगे।
10. "दोनों या उत्तरजीवी"/"पूर्व या उत्तरजीवी" संचालन विकल्प चुनने वाले जमाकर्ताओं के लिए: हममें से किसी की मृत्यु की स्थिति में बैंक को जमा के समय से पहले भुगतान या जमा के आधार पर मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों की सहमति के बिना उत्तरजीवी को ऋण देने के लिए स्वतंत्रता होगी।  
मैं / हम इस बात की घो णा करते हैं कि ऊपर प्रस्तुत विवरण मेरे / हमारे ज्ञान और विश्वास के सर्वश्रे ठ और सही हैं और मैं / हम आपको इसमें होने वाले किसी भी बदलाव के बारे में तुरंत सूचित करने का वचन देता हूँ/ देते हैं। यदि उपरोक्त जानकारी में से कोई भी गलत या असत्य या भ्रामक या गलत बयानी करते हुए पाया जाता है, तो मुझे पता है कि मैं / हम इसके लिए उत्तरदायी हो सकता हूँ/सकते हैं।  
मैंने / हमने उत्पाद / सेवा (नियमों) के नियमों और विनियमों को पढ़ और समझ लिया है और इसके लिए नियमों और ातों का पालन करने के लिए सहमत हुए हैं और साथ ही साथ समय-समय पर किए गए किसी भी बदलाव के बारे में भी। सेविंग बैंक के नियमों और विनियमों की एक प्रति मुझे बंद मोड में उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा, मैं / हमने मनीप्लांट डेबिट कार्ड के नियमों और ातों को पढ़ लिया है और स्वीकार कर लिया है और कार्ड लेनदेन से उत्पन्न देयता का निर्वहन करने का वचन दिया है। मैं / हम समझते हैं कि मैं / हमारे पास बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित नियम और ातों के अनुसार डब्ल्यू का उपयोग करके अपने मोबाइल हैंडसेट के माध्यम से इस खाते को संचालित करने का विकल्प है। ग्रांतदंजांइंदाण्ववउण  
मैं अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर / ईमेल पते पर एसएमएस / ईमेल के माध्यम से सहज इल्व्जिस्ट्री से जानकारी प्राप्त करने के लिए सहमति देता/ देती हूँ।

इस बॉक्स के अंदर एक नवीनतम पा. सपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपकाएँ

1 आवेदक

इस बॉक्स के अंदर एक नवीनतम पा. सपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपकाएँ

2 आवेदक

इस बॉक्स के अंदर एक नवीनतम पा. सपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपकाएँ

3 आवेदक

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

**केवल बैंक उपयोग के लिए**

प्रमाणित किया जाता है कि खाते के संचालन के लिए निहितार्थ और ातों को जमाकर्ता को समझाया गया है (केवल अनपढ़ आवेदक के मामले में)

आवेदक की स्थिति:  निरक्षर  नाबालिग  अन्य लोग  वीआईपी

आवेदक का साक्षात्कार इसने लिया .....

मैं पुि ट करता हूँ कि ज्ञल्व दस्तावेज प्राप्त हो गए हैं और मूल दस्तावेज से सत्यापित किए गए हैं .....

टिप्पणियां:

मैंने / हमने न्ब की जाँच की और प्रतिबंधित सूचियों ( न्च सूची, ँ.ड. सूची और थ्. सूची आदि) को सत्यापित कर दिया है और प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त आवेदक उपरोक्त सूचियों में नहीं है/ हैं।

Account opened by  Authorised by   
(Staff No.) (Staff No.)

पूर्ण हस्ताक्षर  पूर्ण हस्ताक्षर

Emp. Designation: Emp. Designation:

i) ATM Card issued on:  नाम के प्रारंभिक अक्षर

ii) Mobile Banking MPIN given on:  नाम के प्रारंभिक अक्षर

iii) Internet Banking application processed on:  नाम के प्रारंभिक अक्षर

iv) Nomination serial no. :  नाम के प्रारंभिक अक्षर

v) खाता हस्तांतरित / मूल ाखा इसमें बदल गयी:  नाम के प्रारंभिक अक्षर

vi) खाता इस दिनांक को बंद:  नाम के प्रारंभिक अक्षर

ाखा का नाम:

ाखा कोड:



**मनीप्लांट डेबिट कार्ड के लिए नियम और शर्तें**

डेबिट कार्ड कर्नाटक बैंक लिमिटेड के द्वारा मंगलुरु में स्थित अपने पंजीकृत और प्रधान कार्यालय -575 002 से निम्नलिखित नियम और शर्तों पर जारी किए जाते हैं। कृपया कार्ड का उपयोग करने से पहले इन डेबिट कार्ड के नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ें। ये नियम और शर्तें कार्ड के उपयोग से जुड़े सभी लेनदेन पर लागू हैं। डेबिट कार्ड का उपयोग करके कार्डधारक बिना किसी शर्त के यहां सूचीबद्ध नियमों और शर्तों को स्वीकार करता / करती है और इनका पालन करेगा और कार्डधारक संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का अधिकार स्वीकार करता / करती है, सभी नियम और कानून अधिनियम के तहत और समय-समय पर संशोधित लागू होते हैं और समय-समय पर लागू होते हैं। कार्डधारक भी अपने बचत बैंक खाते / चालू खातों / अन्य खातों के संचालन का और समय-समय पर किए गए परिवर्तनों के नियमों और शर्तों का पालन करेंगे। कार्डधारक समय-समय पर संशोधन किए जाने वाले बैंक के नियमों और अधिनियमों का भी पालन करेगा।

**परिभाषा:**

1. 'बैंक' का अर्थ है "कर्नाटक बैंक लिमिटेड" और इसके उत्तराधिकारी और नियोक्ता हैं।
2. 'कार्ड' का अर्थ है कर्नाटक बैंक डेबिट कार्ड, जो बैंक के द्वारा ग्राहक को जारी किया जाता है।
3. 'कार्डधारक', 'आप', 'आपका', 'उसे', 'उसका' या इसी तरह के सर्वनाम, जहां संदर्भ को स्वीकार करते हैं, का अर्थ बैंक का ग्राहक है, जिसे बैंक द्वारा एक निर्दिष्ट खाते का संचालन करने के लिए एक कार्ड जारी किया गया है।
4. 'खाता' का अर्थ है कार्डधारक का बचत, चालू या अन्य खाता, जिसे बैंक द्वारा कार्ड संचालन के योग्य होने के लिए नामित किया गया है।
5. 'प्राथमिक खाता', का अर्थ कई खातों से लिंक कार्ड की स्थिति में वह खाता है, जिसे संचालन का मुख्य / पहले खाते के रूप में नामित किया गया है अर्थात् वह खाता जिससे नकदी निकाली जाती है, खरीद लेनदेन होता है, कार्ड से संबंधित प्रभार और शुल्क कार्ड से लिए जाते हैं।
6. 'नामित खाता' कार्डधारक के द्वारा निर्दिष्ट वर्णित प्राथमिक खाता और अन्य खाते, जिनके लिए बैंक द्वारा लिखित रूप में और स्वीकृति देकर उसके कार्ड और पिन से एक्सेस करना शामिल है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि संयुक्त हस्ताक्षर या नाबालिग के खाते या जिसमें नाबालिग एक संयुक्त धारक है, वह खाता 'नाम वाला खाता' के रूप में नामित करने के योग्य नहीं होगा।
7. 'एटीएम' का अर्थ भारत में या विदेशों में ऑटोमैटेड टेलर मशीन से है, चाहे वह उसी बैंक का हो या किसी अन्य बैंक का साझा नेटवर्क हो, जिसके साथ बैंक का अनुबंध हो, जिसमें अन्य बातें भी शामिल हैं, कार्डधारक अपने डेबिट कार्ड का उपयोग बैंक में अपने खाते में जमा धन पर कर सकता है।
8. 'पिन' का अर्थ बैंक के द्वारा कार्डधारक को आवंटित व्यक्तिगत पहचान संख्या (एटीएम तक पहुंचने के लिए आवश्यक) है या इसे कार्डधारक के द्वारा समय-समय पर बदला जाता है।
9. 'लेन-देन', कार्ड में लेन-देन को प्रभावित करने के लिए किसी कार्डधारक द्वारा सीधे या परोक्ष रूप से अपने कार्ड का उपयोग करके दिए गए किसी भी निर्देश को शामिल करता है। (लेनदेन के उदाहरण खुदरा खरीद, नकद निकाली, नकद / चेक जमा आदि हो सकते हैं)
10. 'अंतरराष्ट्रीय लेन-देन' का अर्थ है कार्डधारक द्वारा भारत, नेपाल और भूटान के बाहर या अंतरराष्ट्रीय वेबसाइटों पर अपने अंतरराष्ट्रीय वैध डेबिट कार्ड के माध्यम से किया गया लेनदेन।
11. 'स्टैटमेंट', बैंक द्वारा कार्डधारक को दिए गए खाते के विवरण का अर्थ है, कार्डधारक द्वारा किए गए लेन-देन को निर्धारित अवधि के दौरान किए गए लेनदेन और उस खाते में जो राशि। इसमें कोई अन्य जानकारी भी शामिल हो सकती है जिसे बैंक शामिल करने के लिए उपयुक्त हो सकता है।
12. 'मर्चेन्ट' या मर्चेन्ट प्रतिष्ठानों का अर्थ उन प्रतिष्ठानों से होगा, जहां कार्ड स्वीकार / सम्मान करते हैं और उनमें अन्य स्टोर, दुकानें, रेस्तरां, एयरलाइन संगठन आदि शामिल होंगे।
13. 'ईडीसी' या इलेक्ट्रॉनिक डाटा केंद्र का अर्थ है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल स्वाइप टर्मिनल, चाहे वह साझा नेटवर्क पर बैंक या कोई अन्य बैंक हो जो से व्यापारी प्रतिष्ठानों से खरीद लेनदेन के लिए खातों से कैश लेने की अनुमति देता है।
14. 'VISA / RuPay' का मतलब M / s VISA अंतरराष्ट्रीय / राष्ट्रीय भुगतान निगम भारतके स्वामित्व वाला ट्रेडमार्क है।
15. साझा नेटवर्क का अर्थ बैंक के एटीएम के अलावा अन्य बैंक के एटीएम नेटवर्क से है, जहां कर्नाटक बैंक डेबिट कार्ड स्वीकार किया जाता है।
16. 'ई-कॉमर्स' या ऑनलाइन लेन-देन का अर्थ उस प्रकार के लेन-देन से है, जहाँ उत्पादों और सेवाओं की खरीद और बिक्री इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे इंटरनेट और अन्य कंप्यूटर नेटवर्क पर की जाती है।
17. 'टैलर' ए टेलर बचत/लेनदेन के द्वारा टैलर स्थापित का अर्थ है टैलर के साथ मिलकर एक प्रोटोकॉल है, जो आपको कर्नाटक बैंक डेबिट कार्ड के साथ सुरक्षित रूप से ऑनलाइन खरीदारी करने देता है। यह आपके ऑनलाइन लेनदेन की सुरक्षा के लिए एक पासवर्ड है, जैसे आप एटीएम में अपने पिन का उपयोग करते हैं।

**कार्ड जारी करना:**

1. बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को केवल बचत चालू या अन्य निर्धारित खातों को बनाए रखने के लिए कार्ड जारी किया जाता है।
2. डेबिट कार्ड प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी पात्र ग्राहक को उस ग्राहक से संपर्क करना होता है, जिसके साथ वह अपना खाता रखता है और प्राप्त करता है और बैंक के किसी प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष विधिवत रूप से पूर्ण और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र जमा करता है। आवेदक ग्राहक के हस्ताक्षर बैंक के साथ दर्ज किए गए नमूने के साथ होने चाहिए।
3. बैंक अपने विवेकाधिकार में, कार्ड जारी करने या जारी करने या नवीनीकरण करने से इनकार कर सकता है या बिना कोई कारण बताए शर्तों को लागू कर सकता है।
4. अगर कार्ड जारी करने के लिए आवेदन में दी गई जानकारी में कोई बदलाव हो तो कार्डधारक तुरंत बैंक को सूचित करेगा, जिसमें पता / मोबाइल नंबर / ईमेल आईडी का परिवर्तन शामिल है।

5. इसके साथ ही डेबिट कार्ड के सक्रियण पर, मौजूदा डेबिट कार्ड, यदि कोई हो, निर्दिष्ट खाते / खातों से जुड़ा हुआ है, तो बैंक द्वारा डी-एक्टिवेट किया जाएगा। कार्डधारक मौजूदा डेबिट कार्ड को नष्ट कर देगा।

**कार्ड की वैधता और कार्डधारक के दायित्व:**

1. कार्ड जारी करना और उपयोग करना समय-समय पर लागू होने वाले बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों और विनियमों के अधीन होगा। कार्ड केवल बैंक के एटीएम, अन्य साझा नेटवर्क के एटीएम और व्यापारी प्रतिष्ठानों पर उपलब्ध पॉइंट ऑफ सेल स्वाइप टर्मिनल और टैलर के द्वारा समर्थित ऑनलाइन लेन-देन के लिए मान्य होगा।
2. कार्ड केवल बैंक के एटीएम, अन्य साझा नेटवर्क के एटीएम और व्यापारी प्रतिष्ठानों पर उपलब्ध पॉइंट ऑफ सेल स्वाइप टर्मिनल और टैलर के द्वारा समर्थित ऑनलाइन लेन-देन के लिए मान्य होगा।
3. कार्ड बैंक की संपत्ति के सभी समय पर होगा और बैंक को बिना शर्त के और तुरंत बैंक को वापस कर दिया जाएगा। कार्डधारक से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि कार्ड सौंपने से पहले बैंक के अधिकारी की पहचान स्थापित की जाए।
4. कार्ड किसी भी परिस्थिति में कार्डधारक द्वारा हस्तांतरणीय या असाइन करने योग्य नहीं है।
5. कार्डधारक को रसीद मिलने पर तुरंत कार्ड पर हस्ताक्षर करना चाहिए। कार्डधारक को किसी अन्य व्यक्ति को इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए और कार्डधारक की व्यक्तिगत अभिरक्षा और हर समय नियंत्रण के तहत कार्ड को सावधानी से बनाए रखने और संरक्षित करके दुरुपयोग से कार्ड की सुरक्षा करनी चाहिए। बैंक कोई दायित्व नहीं मानेगा कार्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए कार्डधारक की विफलता से उत्पन्न किसी भी दावे या क्षति के लिए या कार्ड के जारी करने के लिए आवेदन पत्र पर दिखाई देने वाले एकमुश्त हस्ताक्षर से होने वाले नुकसान से जो भी हो। बैंक कार्डधारक द्वारा हस्ताक्षरित कार्ड की एक फोटोकॉपी प्राप्त करने का हकदार है।
6. कार्डधारक कार्ड की प्राप्ति और समय-समय पर पिन को तुरंत बदल देगा। कार्ड के लिए कार्डधारक द्वारा चुने गए कार्ड या कार्ड के साथ उपयोग के लिए जारी किए गए व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन) को पिन के रूप में केवल कार्डधारक को ही जाना जाएगा और कार्डधारक के व्यक्तिगत उपयोग के लिए जाना जाता है और यह गैर-हस्तांतरणीय और सख्ती से गोपनीय है। पिन का कोई भी लिखित रिकॉर्ड किसी भी रूप, स्थान या तरीके से नहीं रखा जाना चाहिए।
7. थर्ड पार्टी द्वारा इसके उपयोग की सुविधा। किसी भी परिस्थिति में या किसी भी तरह से स्वीकृत या अस्वीकृत किसी भी तरह से पिन का खुलासा न तो किसी तीसरे पक्ष को किया जाना चाहिए, न बैंक के कर्मचारियों को और न ही मर्चेन्ट प्रतिष्ठानों को। पिन के प्रकटीकरण के कारण कार्डधारक को हुए नुकसान या क्षति के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। कार्डधारक और खाताधारक पिन के गलत या अनधिकृत उपयोग के कारण बैंक को होने वाले सभी अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा। पिन का उपयोग केवल उस कार्ड के साथ किया जा सकता है जिसके लिए वह नामित है।
8. कार्डधारक के खाते को कार्ड के उपयोग से प्रभावित किसी भी निकासी, हस्तांतरण और अन्य लेनदेन की राशि के साथ तुरंत डेबिट किया जाएगा। कार्डधारक ऐसे किसी भी लेनदेन को पूरा करने के लिए खाते में पर्याप्त धनराशि रखेगा।
9. कार्डधारक बैंक के साथ अपने खाते से अधिक नकदी निकालने या किसी भी सहमत ओवरड्राफ्ट सीमा से अधिक कार्ड के उपयोग से धनराशि निकालने का हकदार नहीं होगा।
10. कार्डधारक कार्ड के उपयोग से प्रभावित लेनदेन के लिए जिम्मेदार होगा, चाहे कार्डधारक द्वारा अधिकृत हो या न हो और कार्ड के किसी भी अनधिकृत उपयोग या संबंधित पिन के कारण किसी भी नुकसान या क्षति के खिलाफ बैंक की निंदा करेगा, जिसमें कोई दंडात्मक कार्रवाई शामिल है आरबीआई के किसी भी उल्लंघन के कारण वहां उत्पन्न होने वाले या विदेशी मुद्रा के तहत बनाए गए नियम।
11. कार्डधारक इस बात से सहमत है कि खाते के अतिदेय होने या डेबिट बैलेंस दिखाने के कारण, बैंक को अपने नियमों के अनुसार ब्याज वसूलने का अधिकार है और बिना किसी नोटिस के उसके किसी भी खाते में पड़े क्रेडिट बैलेंस के खिलाफ राशि को सेट करने का अधिकार है।
12. कार्ड महीने / वर्ष की अंतिम दिनांक तक वैध होता है, जो कार्ड पर दर्शाया गया है कि कार्डधारक इसके टुकड़ों को काटकर समाप्त होने पर कार्ड को नष्ट करने का कार्य करता है। कार्डधारक का नवीनीकृत कार्ड बैंक के विवेक पर और कार्डधारक के खाते के आचरण के मूल्यांकन पर कार्ड की समाप्ति से पहले कार्डधारक को भेजा जाएगा। बैंक समाप्ति पर कार्ड के नवीनीकरण का एकमात्र अधिकार सुरक्षित रखता है और अपने खाते में किसी भी नवीकरण या शुल्क / वारिकि रखरखाव शुल्क को डेबिट करता है। नया कार्ड समय-समय पर संशोधित डेबिट कार्ड के नियम और शर्तों के अधीन होगा। आगे कोई आवेदन या समझौता आवश्यक नहीं होगा।
13. कार्डधारक महीने में एक बार अपनी पासबुक अपडेट करवाएगा। कार्डधारक बैंक को विवरणीय तिथि से सात (7) दिनों के भीतर या किसी भी अनियमितताओं या विसंगतियों के पासबुक के पूरा होने की तारीख से एक एटीएम / मर्चेन्ट प्रतिष्ठान में लेनदेन के विवरण में मौजूद होने की सूचना देगा। यदि इस दौरान ऐसा कोई नोटिस प्राप्त नहीं होता है, तो बैंक लेन-देन और खाता / पासबुक के विवरण सही होना मान लेगा।

**मर्चेन्ट प्रतिष्ठान का स्थापना उपयोग:**

1. कार्ड को भारत और विदेशों में मर्चेन्ट प्रतिष्ठानों में सभी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनलों पर स्वीकार किया जाता है, जो टैलर के लोगो प्रदर्शित करते हैं।
2. कार्ड केवल इलेक्ट्रॉनिक उपयोग के लिए है और केवल मर्चेन्ट प्रतिष्ठानों में स्वीकार किया जाएगा, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल स्वाइप टर्मिनल है। इलेक्ट्रॉनिक उपयोग के

अलावा कार्ड के किसी भी उपयोग को अनधिकृत माना जाएगा और कार्डधारक इस तरह के लेनदेन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। कृपया ध्यान दें कि मचैट प्रति ठान में कार्ड का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल स्वाइप टर्मिनल्स पर करने के लिए एटीएम पिन आवश्यक है।

- कार्डधारक को बिक्री परी पर हस्ताक्षर करना चाहिए और जब भी कार्ड व्यापारी प्रति ठानों पर उपयोग किया जाता है, तो बिक्री परी की अपनी प्रतिलिपि को बनाए रखना चाहिए। बैंक बिक्री परी की प्रतियां प्रस्तुत नहीं करेगा। किसी भी बिक्री परी पर कार्डधारक द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित नहीं किया गया है, लेकिन जिसे साबित किया जा सकता है, क्योंकि उसके द्वारा अधिकृत होने पर उसे देयता माना जाएगा।
- बैंक किसी भी सोदे के लिए किसी भी जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं करेगा, जो व्यापारी कार्डधारक के साथ हो सकता है, जिसमें माल और सेवाओं की आपूर्ति तक सीमित नहीं है। क्या उसे किसी टैल्नचलसकार्ड व्यापारी प्रति ठान से संबंधित कोई शिकायत होनी चाहिए, कार्डधारक को व्यापारी प्रति ठान के साथ मामले को हल करना चाहिए और शिकायत अनसुलझी स्थिति में होने से कार्डधारक को किसी भी दायित्व से बैंक राहत नहीं देगा।
- बैंक किसी भी व्यापारी प्रति ठान द्वारा लगाए गए लेनदेन के मूल्य / लागत के ऊपर और उसके ऊपर किसी भी जुल्क के लिए जिम्मेदार नहीं है और लेनदेन राशि के साथ कार्डधारक के खाते में डेबिट किया जाता है।
- माल / सेवाओं को रद्द करने के लिए एक खरीद और एक बाद का क्रेडिट दो अलग और स्वतंत्र लेनदेन हैं। व्यापारी से प्राप्त धनवापसी (कम रद्दीकरण जुल्क) केवल कार्डधारक के खाते में जमा की जाएगी। अगर धनवापसी से 30 दिनों के भीतर क्रेडिट कार्डधारक के खाते में पोस्ट नहीं किया जाता है, तो कार्डधारक को व्यापारी से प्राप्त क्रेडिट नोट की प्रति के साथ बैंक को सूचित करना चाहिए।
- कई खातों से जुड़े कार्ड के मामले में, व्यापारी प्रति ठान में लेनदेन केवल प्राथमिक खाते पर ही लागू होंगे। उक्त खाते में अपर्याप्त धनराशि होने पर, बैंक लेन-देन का सम्मान नहीं करेगा, भले ही आवश्यक धनराशि कार्ड से जुड़े अन्य खाते में संचयी या बहुत हो।
- कार्ड का उपयोग चेक-इन के दौरान होटलों में और अन्य स्थानों पर भी नहीं किया जाना है जहां भुगतान की व्यवस्था खरीद लेनदेन या सेवा पूर्ण होने से पहले की जाती है।
- कार्ड का उपयोग किसी भी मेल ऑर्डर / फोन की खरीद के लिए नहीं किया जाना चाहिए और ऐसे किसी भी उपयोग को अनधिकृत माना जाएगा।
- विदेशी पत्रिकाओं ६ पत्रिकाओं को सदस्यता के भुगतान के लिए कार्ड का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए और ऐसे किसी भी उपयोग को अनधिकृत माना जाएगा।
- कार्डधारक सभी अनधिकृत कृत्यों और लेनदेन के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होगा।

#### अंतर्राष्ट्रीय उपयोग:

- कार्डधारक एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (थंड) 1999 की सभी आवश्यकताओं का पालन करना सुनिश्चित करेगा और सभी संशोधन सभी नियमों और विनियमों, विदेशी मुद्रा एंटाइटेल्मेंट के संबंध में जारी अधिसूचनाओं के अनुसार जारी किए जाएंगे। समय-समय पर आर.बी.आई. कार्डधारक द्वारा समान अनुपालन न करने की स्थिति में, कार्डधारक विदेशी मुद्रा से संबंधित समय-समय पर थंड। और किसी अन्य कानून के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। कार्डधारक को बैंक या लष् के उदाहरण पर या तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य डेबिट कार्ड रखने से विरुद्ध किया जा सकता है।
- नेपाल और भूटान में विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए डेबिट कार्ड मान्य नहीं है खर्थात किसी भी मुद्रा में जो स्थानीय मुद्रा या भारतीय रुपया नहीं है।
- अनिवासी भारतीय कार्ड उपयोग कर सकते हैं बशर्त कि भारत में इसके उपयोग से उत्पन्न होने वाले सभी देय / प्रवासी बैंक के साथ रखे गए गैर-निवासी बाहरी (एनआरडी) खाते से मिलें हों।
- कार्डधारक के द्वारा अपना पात्रता से अधिक खर्च करने की बैंक को जानकारी होने पर भी बैंक किसी भी देयता के अधीन नहीं होगा और आरबीआई के द्वारा निर्धारित समय-समय पर जारी किए गए रूप में कार्डधारक के द्वारा विदेशी एक्सचेंज दावा अधिक कर सुचित भुल्क देने से मना करने से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप होने वाली हानि या क्षति की पूर्ति करेगा।
- कार्डधारक अवैध उद्देश्य के लिए भुगतान करने के लिए कार्ड का उपयोग नहीं करने का वचन देता है, जिसके लिए विदेशी विनियमों के तहत विदेशी मुद्रा जारी करने की अनुमति नहीं है।
- कार्डधारक यह भी स्वीकार करता है कि विदेशी मुद्रा निकासी की अनुमति केवल तभी है जब निकासी के समय, उसके खातों में पर्याप्त समतुल्य भारतीय रुपया है। जिसके आधार पर कार्ड जारी किया गया हो और अपर्याप्त संतुलन के मामले में निकासी को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- कार्डधारक इस बात से सहमत है कि विदेशी मुद्रा की वापसी के लिए प्रत्येक लेनदेन बैंक द्वारा निर्धारित सेवा जुल्क को आकर्षित करेगा। सेवा जुल्क सूचना के बिना बदल सकती है।
- सभी विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए उपयोग की जाने वाली विनियम दर बैंक द्वारा तय की जाएगी और कार्डधारक के लिए बाध्यकारी होगी।

#### एटीएम उपयोग:

- कार्ड को बैंक के एटीएम और दुनिया भर में टैल्नचलसक्षम एटीएम में स्वीकार किया जाता है।
- साझा नेटवर्क एटीएम में नकद निकासी और बैलेंस पूछताछ सहित सभी लेनदेन एक जुल्क के अधीन होंगे और इस तरह के लेनदेन के समय खाते में डेबिट किया जाएगा। इसके साथ ही बैंक या गैर-बैंक एटीएम में सभी लेनदेन, चाहे निपादित हो या विफल, समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित जुल्कों के अधीन होते हैं। चार्ज जेड्यूल बैंक की वेबसाइट पर अपडेट किया गया है।
- कार्डधारक सभी प्रयोजनों के लिए बैंक के लेनदेन के रिकॉर्ड को निर्णायक और बाध्यकारी के रूप में स्वीकार करेगा। प्रत्येक बार लेनदेन पूरा करने पर कार्डधारक के निर्देशों के रिकॉर्ड के रूप में एटीएम द्वारा उत्पादित मुद्रित स्लिपस को इस उद्देश्य के लिए बैंक के रिकॉर्ड के रूप में नहीं माना जाएगा।
- बैंक किसी भी विफलता के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, किसी भी सेवा प्रदान करने के लिए या इस कार्ड के तहत किसी भी दायित्व को निभाने के लिए जहां ऐसी विफलता (चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) एटीएम या कार्ड की किसी भी खराबी के लिए, या परिस्थितियों को उसके नियंत्रण से परे है।
- बैंक कार्ड और संबंधित पिन के नुकसान / उपयोग से उत्पन्न किसी भी परिणामी या अप्रत्यक्ष

नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, चाहे कोई भी हो।

- भारत के अलावा किसी अन्य देश में एटीएम सेवाओं की उपलब्धता स्थानीय नियमों के अनुसार उक्त देश में लागू होती है। यदि इन सेवाओं को बिना सूचना के वापस ले लिया जाए तो बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

#### जुल्क:

- डेबिट कार्ड के लिए जुल्क समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ऐसी फीस कार्डधारक के प्राथमिक खाते में डेबिट की जाएगी। ये जुल्क वापसी योग्य नहीं हैं। अन्य सेवाओं के लिए जुल्क प्रचलित दरों पर लगाए जाएंगे।
- जहां भी लागू हो, नकद निकासी / बैलेंस पूछताछ और / या जुल्क के लिए लेनदेन जुल्क कार्डधारक के खाते में एक साथ नकद लेनदेन, निकासी / बैलेंस पूछताछ आदि पोस्ट करने के साथ डेबिट किया जाएगा।
- कार्ड के उपयोग पर लागू चार्ज / जुल्क बैंक द्वारा समय-समय पर संशोधन / परिवर्तन के अधीन होते हैं, जो कार्डधारक को पूर्व सूचना के बिना होते हैं।

#### कार्ड की विशेषताएं:

बैंक समय-समय पर अपने विवेक से, डेबिट कार्ड पर विभिन्न सुविधाओं की पेशकश करने के लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ गठजोड़ कर सकता है। ये सभी सुविधाएँ केवल सर्वोत्तम प्रयासों के आधार पर होंगी और बैंक किसी भी सेवा प्रदाता / व्यापारियों / आउटलेट्स / एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत किसी भी उत्पाद या सेवाओं की प्रभावकारिता, दक्षता या उपयोगिता की गारंटी या वारंटी नहीं देता है। विवाद, बैंक को शामिल किए बिना, सीधे व्यापारी / एजेंसी आदि के साथ होगा।

#### अस्थायी अवरोधन, निष्क्रियकरण और सक्रियण

इन परिस्थितियों में कार्ड का उपयोग अस्थायी रूप से ("अस्थायी अवरोधन") या स्थायी रूप से ("निष्क्रियता") रद्द किया जा सकता है।

- अस्थायी अवरोधक प्रभाव हो सकता है
  - पिन भूल जाने पर
  - गारंटी के रूप में प्रतिज्ञा करने या खाते में धन जमा होने पर
  - कार्डधारक द्वारा इन सामान्य तारों के किसी उल्लंघन पर भी
  - एटीएम टर्मिनल द्वारा कार्ड को रोक देने पर
  - कार्डधारक के अनुरोध पर
  - जारी / सक्रियण की दिनांक से 90 दिनों के भीतर कार्ड का उपयोग न करने पर
- निष्क्रियता प्रभावित हो सकती है:
  - कार्ड के नुकसान, चोरी, क्षति या समाप्ति पर
  - पिन भूल जाने पर
  - कार्ड की समाप्ति पर
  - इन सामान्य तारों के कार्डधारक की समाप्ति पर
  - बैंक की इन सामान्य तारों को समाप्त करने पर
  - खाता बंद करने पर
  - कार्डधारक की मृत्यु या दिवाला या अन्य कानूनी विकलांगता पर
  - मौजूदा कार्ड के प्रतिस्थापन में एक नया डेबिट कार्ड जारी करने पर
  - बैंक के विवेक पर
- कार्ड के अस्थायी अवरोधन का अनुरोध कार्डधारक द्वारा लिखित रूप से किया जाना चाहिए। कार्डधारक लिखित अनुरोध करने में सक्षम नहीं होने की स्थिति में, लेकिन अन्य तरीके से अनुरोध करता है, बैंक अपने विवेक से अस्थायी रूप से कार्ड को ब्लॉक कर सकता है। कार्डधारक उचित समय के भीतर लिखित रूप में इस तरह के अनुरोध की पुष्टि करने के लिए सहमत होता है। हालांकि, अस्थायी अवरोध के कारण बैंक किसी भी नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- बैंक रिपोर्टिंग व्यक्ति की पहचान को सत्यापित करने के लिए ब्लॉक करने से पहले कार्डधारक और खाते से संबंधित किसी भी डेटा का अनुरोध करने का हकदार है।
- कार्डधारक द्वारा लिखित रूप में अनुरोध के बाद पुनः सक्रिय होने तक कार्ड अस्थायी रूप से अवरुद्ध रहेगा।
- यदि कार्ड की वैधता अवधि के भीतर, जो खो जाने की सूचना है, यदि कार्डधारक बाद में कार्ड का पता लगाने / खोजने में सक्षम है, तो कार्डधारक बैंक को सूचित करेगा और सक्रियण के लिए अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे मामले में बैंक अपने विवेक से कार्ड को सक्रिय कर सकता है बशर्त कि खोए कार्ड के बदले कोई कार्ड जारी न किया गया हो।
- कार्ड के नुकसान, चोरी, क्षति या विनाश के मामले में कार्डधारक एक नया कार्ड जारी करने के लिए लिखित में अनुरोध प्रस्तुत करेगा। क्षतिग्रस्त कार्ड के मामले में बैंक लिखित अनुरोध और मौजूदा कार्ड की वापसी पर एक नया कार्ड जारी कर सकता है।
- न्यायालय या अन्य प्राधिकरण के एक आदेश द्वारा निर्दिष्ट खाते के संचालन पर प्रतिबंध लगाए जाने पर बैंक कार्ड को निष्क्रिय कर देगा।
- बैंक को सुरक्षा कारणों से खाताधारक की सुरक्षा के अपर्याप्त धनराशि के मामलों में / न्यूनतम बैलेंस का रखरखाव न करने, कार्ड के दुरुपयोग में कार्ड को ब्लॉक करने का अधिकार होगा।
- बैंक अपने अवरुद्ध या निष्क्रिय होने से पहले खोए या चोरी हुए कार्ड के अनधिकृत उपयोग से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

#### खोया या चोरी हुआ कार्ड

- पिजीम बतक पे सवेज वत जवसमदए जीम बंकीवसकमत उनेज तमचवतज जीम सवे जव जीम ठंदा 1. यदि कार्ड खो जाता है या चोरी हो जाता है, तो कार्डधारक को कार्ड को हॉट लिस्ट करने के लिए तुरंत बैंक को नुकसान की सूचना देनी चाहिए। हालांकि बैंक के टोल फ्री हेल्प लाइन के माध्यम से नुकसान या चोरी की सूचना दी जा सकती है, कार्डधारक को बैंक



- को लिखित रूप में जल्द से जल्द इसकी पुष्टि करनी चाहिए। उक्त लिखित पुष्टि के साथ स्वीकार की गई पुलिस शिकायत की एक प्रति होनी चाहिए।
- कार्डधारक बैंक को नुकसान / चोरी की सूचना देने के बाद किसी भी वित्तीय दायित्व से सुरक्षित होता है, जो कार्डधारक के द्वारा बैंक से नुकसान की रिपोर्ट करने के समय से उसके अपने कार्ड पर किए गए किसी भी खरीद लेनदेन से होता है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि एटीएम और मर्चेन्ट प्रतिदानों, ऋण/ऋणों के माध्यम से किए गए नकद आहरण पर कोई ऐसा कवरेज उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के लेनदेन पिन उपयोग कर किए जाते हैं, जो गोपनीय और केवल कार्डधारक को पता होता है।
  - कार्डधारक किसी भी देयता (नागरिक या आपराधिक), हानि, लागत, व्यय या क्षति के खिलाफ बैंक को पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत होता है, जो कार्ड खाने और बैंक को रिपोर्ट नहीं करने पर दुरुपयोग होने या बैंक को रिपोर्ट करने से पहले खोने और दुरुपयोग के कारण हो सकता है।
  - यदि खो गया / चुराया गया कार्ड बाद में बरामद हो जाता है, तो कार्डधारक कर्नाटक बैंक शाखा में कार्ड को वापस करने या कार्ड को नष्ट करने या कहीं टुकड़ों में काटकर नया कार्ड प्राप्त करने के बजाय उसी का उपयोग नहीं करेगा।

#### स्टैटमेंट और रिकॉर्ड:

- कार्ड लेन-देन के रिकॉर्ड बैंक द्वारा जारी किए गए खाता विवरण पर उपलब्ध होंगे और / या खाता पासबुक ग्राहक द्वारा अपडेट की गई है। ग्राहक की ओर से अपनी पासबुक को आवधिक अंतराल पर कम से कम एक बार अपडेट करना अनिवार्य होगा। उस शाखा से एक महीना जहां वह कार्ड खाता बनाए हुए है।
- कार्ड के उपयोग पर संसाधित लेनदेन का बैंक का रिकॉर्ड सभी उद्देश्यों के लिए निर्णायक और बाध्यकारी होगा। यदि आप डेबिट कार्ड के उपयोग के कारण आपके बैंक खाते के विवरण में दिखाई देने वाले लेनदेन को नहीं पहचानते हैं, तो यदि आप हमसे पूछते हैं, तो हम आपको ऐसे लेनदेन के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करेंगे। हालांकि किसी भी विसंगति या संदिग्ध लेनदेन के बारे में सूचित किया जाएगा ऐसे संदिग्ध लेनदेन की दिनांक से 30 दिनों के भीतर लिखित रूप में बैंक और हमें इस बात की पुष्टि या सबूत देने की आवश्यकता हो सकती है कि आपने ऐसा लेनदेन नहीं किया है 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट नहीं की गई ऐसी किसी भी सूचना 6 दावे पर विचार नहीं किया जा सकता है। संदिग्ध लेनदेन के लिए दावे प्राप्त होने पर, 7 दिनों के भीतर निपटान का प्रयास किया जाएगा। हालांकि, यदि प्राप्तकर्ता उक्त लेनदेन को सफल साबित करता है, तो अगले 60 दिनों के भीतर आपके खाते में उसी राशि को वापस कर दिया जाएगा

#### विवाद:

- खरीद लेन-देन के मामले में कार्डधारक के हस्ताक्षर के साथ एक बिक्री पर्ची जिसमें कार्ड नंबर नोट किया गया हो, कार्डधारक द्वारा देय दायित्व की सीमा तक बैंक और कार्डधारक के बीच निर्णायक प्रमाण होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए बैंक की आवश्यकता नहीं होगी कि कार्डधारक को सेवाओं के खरीदे गए / प्राप्त किए गए सामान को कार्डधारक की संतुष्टि के लिए प्राप्त हुआ है।
- बैंक खाता-विवरण में दर्शाए गए लागू जुल्क के साथ या अन्यथा ग्राहक द्वारा निर्धारित दो महीने के भीतर एक परेशान कार्डधारक की असहमति को हल करने के लिए उचित और उचित प्रयास करेंगे। असहमति के नोटिस की प्राप्ति। यदि इस तरह के प्रयास के बाद बैंक यह निर्धारित करता है कि जुल्क गलत है, तो यह कार्डधारक को समान रूप से सूचित करेगा।
- बैंक किसी भी व्यापारी प्रतिदान द्वारा कार्ड को स्वीकार करने या उसका सम्मान करने से इनकार करने के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।
- यह समझौता भारत के कानूनों के अनुसार और शासित होगा। सभी विवाद मंगलुरु के न्यायालयों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन हैं, चाहे वह किसी भी अन्य न्यायालय के मामले में समवर्ती क्षेत्राधिकार हो और भारत के कानून द्वारा शासित हो।
- कार्डधारक देय राशि के संग्रह से जुड़े सभी खर्चों के लिए उत्तरदायी होगा, कानूनी व्यय (किसी भी एजेंट को इस मामले को संदर्भित करना आवश्यक हो जाना चाहिए), या जहां कानूनी संसाधनों का उपयोग एक विवाद के संसाधन में किया गया है।
- बैंक कार्डधारक द्वारा खरीदे गए या प्राप्त किए गए सामान या सेवाओं के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे या उन्हें आपूर्ति या गैर-आपूर्ति या दोषपूर्ण आपूर्ति या गुणवत्ता या मात्रा या दरों या वस्तुओं या सेवाओं के वितरण के माध्यम से या ऐसे किसी भी विवाद के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। कार्डधारक द्वारा व्यापारी प्रतिदान के साथ हल किया गया
- बैंक सीधे तौर पर बैंक के नियंत्रण में एक प्रणाली की खराबी के कारण एक कार्डधारक द्वारा किए गए प्रत्यक्ष नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा। हालांकि, भुगतान प्रणाली की तकनीकी खराबी से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा जो कि उसके उचित नियंत्रण से परे है। इसके अलावा, मामले के दृष्टि में डेटाबेस या अन्यथा जाना जाता है प्रदर्शन पर एक संदेश भेजकर कार्डधारक के लिए प्रणाली पहचानने योग्य। लेन-देन के गैर-कानूनी या दोषपूर्ण निपटारे के लिए बैंक की जिम्मेदारी मूल राशि और नियमों को नियंत्रित करने वाले कानून के प्रावधानों के अधीन ब्याज की हानि तक सीमित है।

#### समापन:

- बैंक किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना कोई कारण बताए कार्ड या किसी अन्य सेवा को रद्द करने / वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- यदि कार्डधारक बैंक के साथ अपने खाते को बंद करने का निर्णय लेता है, तो प्राथमिक खाते के रूप में जारी किए गए कार्ड (खातों) को स्वचालित रूप से रद्द कर दिया जाएगा। कार्डधारक को तुरंत अपने कार्ड का उपयोग करना बंद कर देना चाहिए और इस खाते से जुड़े अपने सभी अतिरिक्त कार्डों को नष्ट कर देना चाहिए। किसी मामले में बकाया कार्ड लेन-देन जो अभी तक खाते में डेबिट नहीं किया गया है, बैंक द्वारा अपने धन को वापस करने से पहले उसे शांति से हटा दिया जाएगा।
- इस घटना में कि कार्डधारक कार्ड के उपयोग को समाप्त करने का निर्णय लेता है, कार्डधारक बैंक को लिखित रूप में सात (7) दिनों से कम पूर्व सूचना नहीं देगा और इसके बाद कार्ड और अतिरिक्त कार्ड को वापस कर देगा। हालांकि, कार्ड सुविधा समाप्त होने के बावजूद, लेनदेन पहले से ही संसाधित है, लेकिन समाप्ति के बाद कार्डधारक की शाखा को रिपोर्ट किया गया, कार्डधारक के खाते के माध्यम से डाला जाएगा। कार्डधारक ने कार्ड को नष्ट करने के दावे के बाद कार्ड पर किए गए सभी कार्ड सुविधाओं और संबंधित जुल्कों के लिए जिम्मेदार होंगे, इन नियमों और शांति की प्रयोज्यता को समाप्त करने के बावजूद, कार्डधारक कार्ड पर होने वाले सभी जुल्कों के लिए जिम्मेदार होगा या नहीं, यह दुरुपयोग या धोखाधड़ी के उपयोग

- का परिणाम है या नहीं और बैंक को कार्ड नष्ट करने बारे में सूचित किया गया है या नहीं। जब तक कार्ड सरेंडर नहीं किया जाता है और उसके खिलाफ कोई भी भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक नामित खाते / एस के संचालन के मोड में बंद, स्थानांतरण या किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं होगी।
- बैंक तत्काल प्रभाव से कार्ड सुविधाओं को समाप्त करने का हकदार होगा और कार्ड निम्नलिखित में से किसी भी घटना की घटना पर वापस आ जाएगा:
  - आगे निर्धारित नियमों और शांति का पालन करने में विफलता।
  - एक समझौते या प्रतिबद्धता (आकस्मिक या अन्यथा) के तहत डिफॉल्ट की एक घटना बैंक के साथ दर्ज की गई।
  - कार्डधारक किसी भी दिवालियापन, दिवाला कार्यवाही या समान प्रकृति की कार्यवाही का विषय बन रहा है।
  - कार्डधारक का निधन
  - कार्डधारक के खाते को बंद करना या उक्त खाते में न्यूनतम औसत संतुलन बनाए रखने में विफलता।
  - कार्डधारक की रिपोर्ट की गई मानसिक स्थिति / अस्थिर मन
  - यदि बैंक द्वारा यह माना जाता है कि सुविधा का दुरुपयोग / अनुचित तरीके से उपयोग किया जा रहा है।
  - यदि नेटवर्क में किसी भी बैंक / शाखा से कोई प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होती है।
  - यदि आवेदन पत्र में दी गई जानकारी गलत या गलत पाई जाती है या तथ्यों के गलत विवरण के कारण।
- कार्डधारक द्वारा कार्ड में लागू किसी भी तरह के प्रस्तावित बदलावों, कार्ड के नियम और शांति में बदलाव की अस्वीकृति के मामले में, उस दिनांक से पहले डेबिट कार्ड बैंक को वापस कर दिया जाना चाहिए।

#### क्षतिपूर्ति:

- कार्डधारक बैंक को सभी नुकसानों, हर्जाना, दावों के लिए दोषी ठहराएगा, जिनसे बैंक को नुकसान या क्षति हो सकता है:
- कार्डधारक की लापरवाही / गलती या कदाचार।
  - डेबिट कार्ड जारी करने और खाते के रखरखाव के लिए नियम और शांति का उल्लंघन।
  - कार्ड का अनुचित उपयोग या अनधिकृत उपयोग।

#### सूचना का खुलासा:

- जब बैंक द्वारा अनुरोध किया जाता है, तो आप किसी भी मामले से संबंधित कोई भी जानकारी, रिकॉर्ड या प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे, जो कर्नाटक बैंक आवश्यक समझे आप बैंक को अधिकृत करेंगे कि जो भी आवश्यक हो या जो भी आवश्यक होत से सुसज्जित जानकारी की सत्यता को सत्यापित करने के लिए। यदि डेटा प्रदान नहीं किया गया है या यदि समान गलत पाया गया है, तो बैंक अपने विवेक से कार्ड के नवीकरण से इनकार कर सकता है या कार्ड को रद्द कर सकता है।
- बैंक सक्षम न्यायालय, अर्ध-न्यायिक अधिकारियों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी अन्य विंग में किसी भी अदालत में ग्राहकों की जानकारी का खुलासा करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- बैंक, किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक संस्थान में अपनी भागीदारी के संबंध में कार्डधारक के खाते से संबंधित आवश्यक या उपयुक्त हो सकता है, इस तरह की जानकारी, अन्य संस्था को, सख्त विश्वास में, प्रकट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- बैंक को यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि विदेशी मुद्रा में उसके कार्डधारक द्वारा किए गए आरबीआई के व्यय की रिपोर्ट करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि बेसिक ट्रेवल कोटा / अन्य अनुमति पात्रता कार्डधारक से अधिक नहीं है और यह कि थ्रु 11999 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

#### सामान्य

- कार्डधारक अपने रोजगार और / या कार्यालय या आवासीय पते और टेलीफोन नंबरों में किसी भी बदलाव के बारे में बैंक को सूचित करेगा
- बैंक किसी भी नियम और शांति, नीतियों, सुविधाओं और लाभों को जोड़ने या हटाने या अलग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसे माध्यम से परिवर्तन का प्रकाशन, जैसा कि बैंक उचित विचार कर सकता है, कार्डधारक को प्रभावी सूचना देगा। उस दिनांक के बाद कार्ड का उपयोग, जिस पर इन विकल्पों में से कोई भी प्रभाव लागू करना है, ऐसे परिवर्तनों के कार्डधारक द्वारा आरक्षण के बिना स्वीकृति के प्रमाण के रूप में माना जाएगा। डाक द्वारा भेजे गए किसी भी संचार को कार्डधारक द्वारा पत्र लिखने से 7 दिनों के भीतर कार्डधारक द्वारा लिखित रूप में बैंक को दिए गए पते पर प्राप्त किया गया माना जाएगा।
- यदि खाताधारक, कार्ड का उपयोग करके, बैंक द्वारा उपलब्ध है या ओवरड्राफ्ट सीमा से अधिक राशि का आहरण करता है, तो खाताधारक बैंक को भुगतान करेगा, पूरी राशि ब्याज और दंड के साथ, यदि कोई हो, बैंक द्वारा तय की जाने वाली दर। हालांकि, यह एक समझौते के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, या तो व्यक्त या निहित है कि बैंक किसी भी ओवरड्राफ्ट सुविधा को देने के लिए बाध्य है।
- कार्डधारक को छूट जैसे लाभ प्रदान करने वाले तीसरे पक्ष द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में बैंक कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता है। यदि सेवा किसी भी तरह से कमी या अन्यथा असंतोषजनक है, तो बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।
- सभी लेनदेन, विशेष रूप से जमा, देरी की अवधि के अधीन होंगे। इस तरह की देरी के कारण कार्डधारक को किसी भी नुकसान या क्षति या असुविधा के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा
- कार्डधारक किसी भी दायित्व के बिना या बैंक के हिस्से पर निहित किसी भी दायित्व के बिना अपने अनुरोध पर इस सुविधा का लाभ उठाएगा और इस बात से सहमत है कि बैंक के संबंध में कोई दावा नहीं करता है।
- बैंक पर दी गई सभी प्राधिकरण और अधिकार अपरिवर्तनीय हैं
- जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी नहीं है, पद्धत महिलाओं को सामिल करने के लिए मर्दाना लिंग प्रदान करने वाले शब्दों को लिया जाएगा तथा पद्धत एकवचन में शब्दों में बहुवचन और इसके विपरीत सामिल होंगे।
- इस बात की पुष्टि करता है और घोषणा करता है कि मैं इस डबदमलचंद्रज डेबिट कार्ड एप्लिकेशन फॉर्म और नियमों और शांति की सामग्री को पढ़ा और समझा है और इसके लिए कर्नाटक बैंक डबदमलचंद्रज डेबिट कार्ड के लिए आवेदन किया है।

दिनांक: ...../...../.....

स्थान.....

--	--	--



1st आवेदक के हस्ताक्षर

2nd आवेदक के हस्ताक्षर

3rd आवेदक के हस्ताक्षर

**एसएमएस अलर्ट के लिए नियम और शर्तें**

1. मैं बैंक को दिए गए मोबाइल नंबर पर सब्सक्राइब किए गए अलर्ट पर अलर्ट / सूचना भेजने के लिए अधिकृत करता हूँ।
2. मैं स्प T रूप से बैंक को अपने कब्जे में मोबाइल सेवा प्रदाता / एसपी सभी उपयोगकर्ता जानकारी का खुलासा करने के लिए अधिकृत करता हूँ, जैसा कि उन्हें मेरे द्वारा सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक हो सकता है।
3. मैं हर समय सिम कार्ड और मोबाइल फोन को अपने कब्जे में रखूंगा। यदि मैं उपरोक्त का पालन करने में विफल रहता हूँ तो मैं इसके परिणामों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हूँ।
4. बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित प्रयास करेगा कि मेरी जानकारी गोपनीय रखी जाए। बैंक, हालांकि गोपनीय जानकारी के किसी भी विभाजन या खुलासे के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
5. जब मैं पंजीकृत मोबाइल नंबर पर सेवा बंद करना चाहता हूँ, तो एसएमएस अलर्ट सुविधा से पंजीकरण रद्द करना मेरी जिम्मेदारी होगी।
6. अलर्ट मेरे मोबाइल पर तभी उपलब्ध होंगे जब मैं विशेष T सेल्युलर सेवा प्रदाता के सेल्युलर सर्विस रेंज या ऐसे क्षेत्र के भीतर हूँ जो ऐसे सेल्युलर सर्विस प्रोवाइडर के रीमिंग नेटवर्क का हिस्सा बनता है।
7. बैंक किसी भी समय सब्सक्राइब किए गए अलर्ट की गैर-डिलीवरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

8. सुविधा, या तो पूरे या आंशिक रूप से बैंक द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के संशोधित या वापस ली जा सकती है।
9. बैंक को बिना किसी कारण बताए किसी भी सदस्यता आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
10. सीमा राशि और अलर्ट के विभिन्न प्रकार के लिए अन्य पैरामीटर, और यह भी अलर्ट भेजते समय बंद कटौती बैंक द्वारा तय किया जाएगा और तय करने में बैंक का विवेकाधिकार होगा।
11. समय-समय पर बैंक अपने विवेक से एसएमएस अलर्ट सुविधा के उपयोग के लिए शुल्क निर्दिष्ट कर सकता है।
12. बैंक के पास इन शर्तों में संशोधन करने या पूरक करने का पूर्ण विवेक है, मौजूदा प्रावधानों या शर्तों में से किसी को संशोधित करके या किसी नए प्रावधान या शर्त को जोड़कर, इस तरह के संशोधन की नोटिस को वेबसाइट पर पोस्ट करके या उपयोगकर्ता को सूचना देकर। इस तरह की सूचना के बाद एसएमएस अलर्ट सेवाओं का निरंतर उपयोग इस तरह के संशोधन की पावती और स्वीकृति मानी जाएगी।

दिनांक: ...../...../.....

स्थान .....

--	--	--



1st जआवेदक के हस्ताक्षर

2nd जआवेदक के हस्ताक्षर

3rd जआवेदक के हस्ताक्षर

**मोबाइल बैंकिंग सेवा के लिए नियम और तर्कों**

मोबाइल बैंकिंग सेवा कर्नाटक बैंक लिमिटेड द्वारा प्रदान की जाती है, जिसके पंजीकृत और प्रमुख कार्यालय मंगलुरु में हैं - निम्नलिखित बैंकिंग नियमों और तर्कों पर 575 002। कृपया मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने से पहले इन मोबाइल बैंकिंग नियमों और तर्कों को ध्यान से पढ़ें। ये नियम और तर्कों मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करके सभी लेनदेन पर लागू होती हैं। मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करके, खाता धारक बिना तर्कों के यहां सूचीबद्ध नियमों और तर्कों को स्वीकार करता है और बाध्य होगा।

उनके द्वारा और आवेदक संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक, तटस्थ विनियम, तटस्थ विनियम नियंत्रण विनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, १९९८। अधिनियमदक के सभी नियमों और विनियमों के तहत अनुपालन सुनिश्चित करने का अधिकार स्वीकार करता है। समय-समय पर लागू / संशोधित और समय-समय पर लागू होने वाले किसी अन्य संगत अधिनियम के रूप में मोबाइल बैंकिंग सेवा ग्राहक अपने बचत बैंक खाते / चालू खाते / बैंक के साथ अन्य खातों और समय-समय पर किए गए परिवर्तनों के साथ-साथ बैंक के नियमों और विनियमों से बंधे हुए नियमों के नियमों और तर्कों से बंधे रहेंगे। समय-समय पर संशोधन किया गया।

1. परिभाषा: निम्नलिखित शब्दों और भाव जहाँ भी उपयुक्त हों, उसके समान अर्थ होंगे।
- 1.1 'खाता' का अर्थ आधार खाता से एक खाता होगा जिसमें मोबाइल बैंकिंग सेवा का लाभ उठाने का अनुरोध करने के साथ पंजीकृत या फिर से पंजीकृत किया गया है।
- 1.2 'ग्राहक' का अर्थ है ज़रूरत वाले खातों का धारक।
- 1.3 'डिजिटल' का अर्थ मोबाइल बैंकिंग सेवा के लिए मोबाइल व्यक्तिगत पहचान संख्या (पासवर्ड) होगा।
- 1.4 'बैंक' का अर्थ बैंक की मोबाइल बैंकिंग सेवा है और इसमें एलिकेशन / यूएसएसडी / जीपीआरएस / एसएमएस बैंकिंग से अधिक सेवा शामिल है।
- 1.5 'USSD' का अर्थ होगा अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंटरी सर्विस डेटा।
- 1.6 'बैंक' का अर्थ होगा कर्नाटक बैंक लिमिटेड या कोई उत्तराधिकारी और असाइनमेंट।
- 1.7 'सुविधा' का अर्थ ग्राहक को उद्देश्य सहित मोबाइल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना होगा, जो खंड 11 में निहित है।
- 1.8 'मोबाइल फोन नंबर' से अभिप्राय उस मोबाइल नंबर से होगा जिसका उपयोग ग्राहक ने सुविधा के लिए पंजीकरण के लिए किया है।
- 1.9 'एलिकेशन' का अर्थ बैंक के मोबाइल बैंकिंग एलिकेशन से होगा जिसे ग्राहक के मोबाइल फोन हैडसेट पर डाउनलोड किया जाएगा।
- 1.10 '\*GPRS\*' का मतलब जनरल पैकेट रेडियो सर्विस है।
- 1.11 'बैंक' की वेबसाइट का अर्थ है इंटरनेट-आधारित वेब।
- 1.12 'एसएमएस बैंकिंग' का अर्थ है एक पंजी सेवा जो ग्राहकों को एसएमएस संदेश का उपयोग करके मोबाइल फोन के माध्यम से उनके खाते की जानकारी तक पहुंचने की अनुमति देती है। (क्लॉज 12 में अधिक जानकारी)।
- 1.13 'मोबाइल फोन' का अर्थ होगा कि हैडसेट और सिम कार्ड के साथ सामान और जीएसएम के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर और सीडीएमए फॉर्म जो कि आवेदक / खाता धारक के पास है।

**2. नियम और तर्कों की प्रयोज्यता**

कोई भी ग्राहक मोबाइल बैंकिंग सेवा के नियमों और तर्कों को समझने और सहमति के बिना डाटा का उपयोग करने का हकदार नहीं है। डाटा का उपयोग करके, ग्राहक इन नियमों और तर्कों से सहमत होते हैं और सहमति देते हैं, जो ग्राहक और बैंक के बीच अनुबंध बनाते हैं। डाटा द्वारा साक्ष्यित किया जाएगा।

इस तरह के नियम और तर्कों के रूप में समय-समय पर बैंक द्वारा संशोधित की स्थिति। ये नियम और तर्कों ग्राहक के किसी भी खाते और / या संबंधित उत्पाद या बैंक द्वारा प्रदान की गई सेवा से संबंधित अन्य नियमों और तर्कों के अपनाने के अलावा और होंगी, जब तक कि विशेष रूप से अन्यथा नहीं कहा जाता है।

**3. मोबाइल बैंकिंग सेवा को संचालित करने वाले सामान्य व्यापार नियम**

निम्नलिखित व्यावसायिक नियम डाटा पर लागू होंगे।

- 3.1 बैंक के साथ बचत / चालू खाता रखने वाले ग्राहकों के लिए सुविधा उपलब्ध होगी।
- 3.2 सुविधा के तहत दैनिक ऊपरी छत ग्राहक के आवेदन / जीपीआरएस से आधिकारिक इस्तेमाल होने पर फंड ट्रांसफर, बिल भुगतान और मेट्रो भुगतान के लिए रु. 200,000.00 होगी।
- 3.3 गतल डिजिटल दर्ज करने से डाटा दिन के लिए खाते में ब्लॉक हो जाएगा और इस तरह के दो लगातार रुकावट सुविधा को सक्रिय कर देंगे और ग्राहक को उसी के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सेवाओं के लिए फिर से पंजीकरण करना चाहिए।
- 3.4 किसी भी प्रक्रिया के व्यावसायिक नियमों में कोई भी बदलाव बैंक की वेबसाइट/इंटरनेट-आधारित वेब पर अधिसूचित किया जाएगा, जिसे ग्राहक को पर्याप्त नोटिस के रूप में माना जाएगा।
- 3.5 एक संयुक्त खाते के मामले में जहां संचालन का तरीका "कोई एक या उत्तरजीवी" है, कोई भी संयुक्त खाता धारक सुविधा का उपयोग कर सकता है। ऐसे खातों में लेनदेन संयुक्त रूप से और गंभीर रूप से सभी संयुक्त खाताधारकों के लिए बाध्यकारी होगा। ग्राहक बैंक को अलग से सलाह देने के लिए बाध्य हैं, किसी खाते में ऑपरेशन के मोड में किसी भी बदलाव के लिए और यह आवेदन के लिए आवश्यक संशोधनों के लिए प्रभावित होता है। ऐसे खाते जहां संचालन का तरीका "संयुक्त" है, नाबालिग के नाम पर भी खाता है या जहां नाबालिग है संयुक्त खाताधारक डाटा के लिए पात्र नहीं हैं।
- 3.6 बैंक बिना किसी कारण बताए डाटा के लिए ग्राहक के अनुरोध को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 3.7 बैंक सुविधा को निलंबित कर सकता है, यदि ग्राहक द्वारा तीन महीने या उससे अधिक के लिए इसे एक्सेस नहीं किया गया है। यदि सुविधा छह महीने या उससे अधिक के लिए एक्सेस नहीं की गई है, तो उसी को रद्द कर दिया जाएगा।
- 3.8 ग्राहक आधार खाता में अलग से आवेदन जमा करके सुविधा समाप्त करने का अनुरोध कर सकता है, जहाँ डाटा के लिए सक्षम प्राथमिक खाता मोबाइल बैंकिंग सेवाओं को निर्यात क्रय करना विकल्प को चुनना है। ग्राहक बैंक द्वारा किसी भी रद्द करने के अनुरोध की पुष्टि से पहले किए गए निर्दिष्ट खाते पर सभी लेनदेन के लिए जवाबदेह रहेगा। बैंक का यह प्रयास होगा कि वह सुविधा को वापस लेने या समाप्त करने के लिए एक उचित नोटिस दे, लेकिन बैंक अपने विवेक से अस्थायी रूप से या सुविधा को समाप्त कर सकता है, या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से, कभी भी बिना पूर्व सूचना दिए।
- ग्राहक / डाटा के हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर में किसी भी टूटने के लिए किसी भी रखरखाव या मरम्मत कार्य के लिए सुविधा को निलंबित किया जा सकता है, पूर्व सूचना के बिना कोई आपातकालीन या सुरक्षा कारण और बैंक सुरक्षा के कारणों के लिए ऐसी कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। आपातकालीन।

- 3.9 बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के सुविधा के तहत सेवाओं को समाप्त कर सकता है या निलंबित कर सकता है यदि ग्राहक ने बैंक द्वारा निर्धारित नियमों और तर्कों का उल्लंघन किया हो या बैंक की सूचना पर लागू जाने पर ग्राहक की मृत्यु हो।
4. सुविधा का उपयोग सुविधा के लिए पंजीकरण करते समय मोबाइल फोन पर नियम और तर्कों को स्वीकार करके, ग्राहक
  - 4.1 बैंक द्वारा समय-समय पर पेश किए गए वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेन के लिए डाटा का उपयोग करने के लिए सहमत हैं।
  - 4.2 बैंक को उन खातों को डेबिट करने के लिए भी अपरिवर्तनीय रूप से अधिकृत करता है जो डिजिटल का उपयोग करके किए गए सभी लेनदेन / सेवाओं के लिए डाटा के लिए सक्षम किए गए हैं।
  - 4.3 बैंक द्वारा प्रस्तुत डाटा के सुचारु संचालन के लिए खाता संख्या, उपयोगकर्ता आईडी और मोबाइल फोन नंबर को मैप करने के लिए और अपने स्वयं के सर्वर या किसी अन्य तृतीय पक्ष के सर्वर में मैपिंग रिकॉर्ड को संरक्षित करने के लिए और अपने विवेक पर इस तरह के डाटा का उपयोग करने के लिए बैंक को अधिकृत करता है। आगे बैंकिंग / प्रौद्योगिकी प्रदान करने / बढ़ाने के लिए उत्पादों है कि यह पेशकश कर सकते हैं।
  - 4.4 इस बात से सहमत है कि वह जागरूक है / स्वीकार करता है कि बैंक द्वारा दी जाने वाली डाटा जैसे बैंक द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर एमपीआईएन का उपयोग कर लेन-देन करने में सक्षम बनाएगी और इसे बोनोफाइड लेनदेन माना जाएगा।
  - 4.5 इस बात से सहमत है कि मोबाइल फोन के उपयोग से होने वाले लेन-देन गैर वापस लेने योग्य होते हैं क्योंकि ये तात्कालिक / वास्तविक समय होते हैं।
  - 4.6 समझता है और स्पष्ट रूप से सहमत है कि बैंक को समय-समय पर निर्धारित छत को संशोधित करने का पूर्ण और अनपेक्षित अधिकार है जो उसके / उसके लिए बाध्यकारी होगा।
  - 4.7 मोबाइल फोन पर सुविधा का उपयोग करने के लिए सहमत है और केवल उसके मोबाइल सेवा प्रदाता के साथ उसके नाम से पंजीकृत है और सुविधा के लिए केवल मोबाइल फोन नंबर के माध्यम से सुविधा का उपयोग करने का उपकरण करता है।
  - 4.8 इस बात से सहमत है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में कहा गया है कि एक ग्राहक अपने डिजिटल हस्ताक्षर की पुष्टि करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रमाणित कर सकता है जिसे अधिनियम के तहत कानूनी मान्यता दी गई है, बैंक ग्राहक को मोबाइल नंबर, एमपीआईएन या किसी अन्य विधि का उपयोग करके प्रमाणित कर रहा है। पर फंसला किया बैंक का विवेक जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के प्रमाणिकरण के लिए आईटी अधिनियम, 2000 के तहत मान्यता प्राप्त नहीं हो सकता है और यह स्वीकार्य और ग्राहक के लिए बाध्यकारी है और इसलिए ग्राहक बिना किसी दायित्व के डिजिटल की गोपनीयता और गोपनीयता के रखरखाव के लिए बैंक पूरी तरह से जिम्मेदार है।
5. अन्य
  - 5.1 ग्राहक को सुविधा का उपयोग करने के लिए प्रक्रिया के साथ स्वयं को स्वयं को परिचित करना आवश्यक होगा और सुविधा का उपयोग करते समय किसी भी त्रुटि के लिए वह जिम्मेदार होगा। ग्राहक गैरकानूनी गतिविधियों के लिए डाटा का उपयोग नहीं करेगा।
  - 5.2 बैंक यह तय करने का अधिकार रखता है कि क्या सेवाएं पेश की जा सकती हैं। सुविधा के तहत दी जाने वाली सेवाओं के अतिरिक्त / विलोपन उसके विवेकाधिकार पर है।
  - 5.3 ग्राहक के निर्देशों को उसके भ्रष्ट और डिजिटल के तहत प्रमाणीकरण के बाद या सत्यापन के किसी अन्य माध्यम से प्रभावित किया जाएगा जैसा कि बैंक के विवेक पर निर्धारित किया जा सकता है।
  - 5.4 जबकि यह बैंक का प्रयास होगा कि वह ग्राहकों से प्राप्त निर्देशों को गीघ्रता से पूरा करे, यह किसी भी कारण से परिचालन निर्देश की विफलता सहित या किसी भी कारण से निर्देशों को पूरा करने में देरी / विफलता के लिए या कानून की आवश्यकता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ग्राहक स्पष्ट रूप से
    - 5.5 बैंक द्वारा लेन-देन का विवरण दर्ज किया जाएगा और ये रिकॉर्ड लेनदेन की प्रामाणिकता और सटीकता के निर्माण प्रमाण के रूप में माने जाएंगे।
    - 5.6 ग्राहक इसके लिए बैंक या उसके एजेंटों को डिजिटल करता है कि वे बैंक के उत्पादों, बधाई या किसी भी अन्य संदेश को प्रचारित करें, जिस पर बैंक समय-समय पर विचार कर सकता है।
    - 5.7 ग्राहक समझता है कि बैंक 'अस्वीकृति' भेज सकता है या ग्राहक द्वारा भेजे गए सेवा अनुरोध के लिए अनुरोध संदेशों को संसाधित नहीं कर सकता है।
    - 5.8 बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित प्रयास करेगा कि ग्राहक की जानकारी को गोपनीय रखा जाए, लेकिन अपने नियंत्रण से बाहर या किसी तीसरे पक्ष की कार्रवाई से किसी भी अनजाने विभाजन या गोपनीय ग्राहक सूचना के खुलासे के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
    - 5.9 ग्राहक स्पष्ट रूप से बैंक से अनुरोध करता है कि वह अपने मोबाइल फोन से प्राप्त किए गए सभी अनुरोधों / लेनदेन को अपने डिजिटल के साथ प्रमाणित करे। भुगतान की सुविधा जैसे कि फंड ट्रांसफर, मोबाइल टॉप अप, बिल भुगतान इत्यादि के मामले में ग्राहक को बैंक से भुगतान करने के लिए स्पष्ट रूप से अधिकृत किया जाना चाहिए, जब उससे कोई अनुरोध प्राप्त होता है।
    - 5.10 ग्राहक की यह जिम्मेदारी है कि वह बैंक को अपने मोबाइल नंबर में किसी भी बदलाव की सलाह दे या इस उद्देश्य के लिए बैंक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर मोबाइल फोन की हानि / चोरी को रोक सकता है।
    - 5.11 ग्राहक का दूरसंचार सेवा प्रदाता प्रत्येक एसएमएस / डायल / जीपीआरएस के लिए शुल्क लगा सकता है और बैंक ऐसे किसी भी दूरसंचार सेवा प्रदाता और ग्राहक के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के लिए उत्तरदायी नहीं है।
  6. सुविधा के लिए शुल्क संरचना
    - 6.1 बैंक सुविधा के तहत प्रदान की गई सेवाओं के उपयोग के लिए ग्राहक से शुल्क लेने और अपने विवेक पर शुल्क संरचना को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक की वेबसाइट पर ऐसे शुल्कों का प्रदर्शन पर्याप्त सूचना के रूप में काम करेगा और ग्राहक पर बाध्यकारी है।
  7. सूचना की सटीकता
    - 7.1 सुविधा या किसी अन्य विधि के माध्यम से बैंक को सही जानकारी प्रदान करना ग्राहक की जिम्मेदारी है। इस जानकारी में किसी भी प्रकार की विसंगति के मामले में ग्राहक समझता है कि बैंक किसी भी तरह से सूचना के आधार पर कार्रवाई के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। यदि ग्राहक सूचना में इस तरह की त्रुटि की रिपोर्ट करता है, तो बैंक जहाँ भी संभव हो, त्रुटि को तुरंत ठीक करने का प्रयास करेगा।
    - 7.2 ग्राहक समझता है कि बैंक अपनी पूरी क्षमता और प्रयास से, सटीक जानकारी प्रदान करने की कोशिश करेगा और बैंक के नियंत्रण से परे कारणों के कारण होने वाली किसी भी त्रुटि या चूक

- के लिए बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा।
- 7.3 ग्राहक स्वीकार करता है कि बैंक किसी भी त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो सूचना की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा उठाए गए कदमों के बावजूद हो सकता है और बैंक के द्वारा जानकारी सही नहीं होना बताने पर होने वाले किसी भी नुकसान / क्षति की स्थिति में बैंक के खिलाफ कोई दावा नहीं करेगा।
8. **ग्राहक की निंदा और दायित्व**
- 8.1 ग्राहक सभी लेन-देन के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें अनधिकृत / गलत / असत्य / लेनदेन उसके मोबाइल फोन, सिम कार्ड और डेबिट के उपयोग के माध्यम से किए गए, चाहे इस तरह के लेनदेन वास्तव में दर्ज किए गए हों या नहीं उसके द्वारा अधिकृत। इस तरह के सभी लेन-देन के संबंध में कोई भी नुकसान होने पर ग्राहक नुकसान / क्षति के लिए जिम्मेदार होगा।
- 8.2 ग्राहक यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठाएगा कि आवेदन और उसका मोबाइल फोन किसी के साथ साझा नहीं किया गया है और मोबाइल फोन या सिम कार्ड के दुरुपयोग / चोरी / हानि के मामले में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार डेटै से डी-रजिस्टर करने के लिए तत्काल कार्रवाई करेगा।
- 8.3 ग्राहक बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार डेबिट का उपयोग करते हुए सुविधा II के तहत दी जाने वाली सेवाओं का उपयोग करेगा, इसमें नियम और तर्तों शामिल हैं।
- 8.4 ग्राहक भ्रष्ट चर और डेबिट को गोपनीय रखेगा और किसी अन्य व्यक्ति को इनका खुलासा नहीं करेगा या उन्हें इस तरह से रिपोर्ट नहीं करेगा जो उसी या सेवा की सुरक्षा की गोपनीयता से सम्झौता करेगा।
- 8.5 यह ग्राहक की जिम्मेदारी होगी कि वह बैंक को तुरंत सूचित करे यदि उसे डेबिट के दुरुपयोग का संदेह है। वह भी तुरंत अपने डेबिट को बदलने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।
- 8.6 यदि मोबाइल फोन या सिम खो जाता है, तो उपयोगकर्ता को डेटै के लिए सक्षम प्राथमिक खाते की आधार ाखा में डेटै से तुरंत पंजीकरण रद्द करने की कार्रवाई करनी चाहिए।
- 8.7 ग्राहक स्वीकार करता है कि भ्रष्ट चर और / या पंजीकृत मोबाइल फोन नंबर से होने वाले किसी भी वैध लेनदेन को ग्राहक द्वारा पुरा किया गया माना जाएगा, ग्राहक और डेबिट द्वारा अधिकृत कोई भी लेन-देन विधिवत और कानूनी रूप से अधिकृत होता है।
- 8.8 ग्राहक सुविधा के तहत दी जाने वाली सेवाओं से संबंधित किसी भी सूचना / संशोधन के संबंध में खुद को अपडेट रखेगा, जिसे बैंकों की वेबसाइट और ाखाओं में प्रचारित किया जाएगा और सुविधा उपयोग करने में ऐसी सूचनाओं के अनुपालन / नोट करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- 8.9 ग्राहक को इसमें शामिल नियमों और तर्तों के सभी नुकसान या उल्लंघन के लिए उत्तरदायी होगा या लापरवाही से किए गए कार्यों या नुकसान का कारण होगा या खाते में किसी भी अनधिकृत पहुंच के बारे में उचित समय के भीतर बैंक को सलाह देने में विफलता।
- 8.10 ग्राहक मोबाइल कनेक्शन / सिम कार्ड / मोबाइल फोन के संबंध में सभी वाणिज्यिक नियमों और तर्तों के सभी कानूनी अनुपालन और पालन के लिए उत्तरदायी और जिम्मेदार होगा, जिसके माध्यम से सुविधा का लाभ उठाया जाता है और बैंक इसमें किसी भी जिम्मेदारी को स्वीकार / स्वीकार नहीं करता है।
- 8.11 यह ग्राहक की जिम्मेदारी है कि वह बैंक को सूचित करे, परिचालन के मोड़ में किसी भी बदलाव के बारे में एक अलग संचार के माध्यम से डेटै के लिए एक विशिष्ट संदर्भ का लाभ उठाया। यह ग्राहक की भी जिम्मेदारी है कि वह बैंक को सूचित करे, खाते के संचालन में कोई अन्य परिवर्तन जो अस्थायी डेटै के लिए खाते को अयोग्य बना देगा। भाग पर विफलता की ग्राहक बैंक सलाह देने के लिए अलग से इस सुविधा के माध्यम से लेनदेन के लिए सभी खाता धारकों बाध्य करने के लिए, संयुक्त रूप से और पृथक जारी करेगा।
9. **अस्वीकरण**
- 9.1 बैंक, जब विश्वास में काम करता है, तो मामले में किसी भी दायित्व से वंचित किया जाएगा बैंक ग्राहक से किसी भी अनुरोध को प्राप्त करने या निंदा पण्डित करने में असमर्थ है या प्रसंस्करण या ट्रांसमिशन या किसी भी द्वारा अनधिकृत पहुंच के दौरान जानकारी का नुकसान है अन्य व्यक्ति या गोपनीयता का उल्लंघन या बैंक के नियंत्रण से परे कारणों के कारण सुविधा में किसी भी विफलता या चूक के कारण ग्राहक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार का नुकसान, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, जो बैंक के नियंत्रण से परे हैं।
- सूचना प्रसारित करने में कोई विफलता या देरी होती है या बैंक के नियंत्रण से परे किसी भी कारण से सूचना या किसी अन्य परिणाम की कोई त्रुटि या अशुद्धि होती है जिसमें प्रौद्योगिकी विफलता, यांत्रिक विघटन, बिजली व्यवधान आदि शामिल हो सकते हैं।
- सेवा प्रदाताओं या किसी तीसरे पक्ष की ओर से उक्त सुविधा को प्रभावित करने में कोई चूक या विफलता है और बैंक ऐसे किसी भी प्रदाता द्वारा प्रदान की गई सेवा की गुणवत्ता के अनुसार कोई वारंटी नहीं देता है।
- 9.2 बैंक, उसके कर्मचारी, एजेंट या ठेकेदार किसी भी नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे, चाहे प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या परिणामी, लेकिन राजस्व, लाभ, व्यवसाय, अनुबंध, प्रत्याशित बचत के नुकसान सहित सीमित नहीं।
- या सद्भावना, सॉफ्टवेयर सहित किसी भी उपकरण के उपयोग या मूल्य का नुकसान, ग्राहक या किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी देरी, रुकावट, निलंबन, संकल्प या त्रुटि को प्राप्त करने और प्रसंस्करण में जो भी हो, संबंधित या ग्राहक द्वारा सामना किया जा सकने योग्य या नहीं। अनुरोध और तैयार करने और प्रतिक्रिया देने या किसी भी विफलता, देरी, रुकावट, निलंबन, प्रतिबंध या ग्राहक के दूरसंचार उपकरणों से और किसी भी सेवा प्रदाता के नेटवर्क से और बैंक के सिस्टम या किसी भी जानकारी या संदेश के प्रसारण में त्रुटि, टूटने, रुकावट, निलंबन या की विफलता ग्राहक के दूरसंचार उपकरण, बैंक की प्रणाली या किसी भी सेवा प्रदाता और ए या किसी भी तीसरे पक्ष के नेटवर्क जो इस तरह की सेवाएं प्रदान करते हैं जो सुविधा प्रदान करना आवश्यक है।
- 9.3 यदि ग्राहक के मोबाइल हैंडसेट पर एप्लिकेशन संगत नहीं है / काम नहीं करता है तो बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

10. **क्षतिपूर्ति**

सुविधा प्रदान करने वाले बैंक के विचार में, ग्राहक बैंक को सभी कार्यों, दावों, मांगों की कार्यवाही, हानि, क्षति, लागत, जुल्क और खर्च के खिलाफ हानिरहित रखने और सहमत करने के लिए सहमत होता है, जो कि किसी भी समय बैंक को हो सकता है, बनाए रखने, पीड़ित या पीड़ित के परिणामस्वरूप या से उत्पन्न होने के लिए डाल दिया।

या ग्राहक खोजकर्ता को प्रदान की गई किसी भी सेवा के संबंध में। ग्राहक या गोपनीयता का उल्लंघन का द्वारा दी गई किसी भी सूचना / निर्देश / ट्रिगर के लिए किसी भी तीसरे पक्ष द्वारा अनधिकृत पहुंच के लिए ग्राहक को बैंक की क्षतिपूर्ति दी जाएगी।

11. **तत्काल भुगतान सेवा**

न्दकमत जीम महेपे वरिष्ठजपवदंस वलमदमेरे वतवचवतजपवद वरिष्ठकप, छच्छदए ज़तर पे नेशनल पेमेंट्स कंरपोरेशन ऑफ इंडिया, छच्छद के तत्वावधान में ज़तर एक नई सुविधा, प्दच्छद(तत्काल मोबाइल भुगतान सेवा) की पेशकश कर रहा है। यह सुविधा 24\*7 के लिए उपलब्ध है। निधि को निम्नलिखित तरीकों से स्थानांतरित किया जा सकता है।

- 11.1 **P2P:** पर्सन टू पर्सन फंड ट्रांसफर लाभार्थियों की एमएमआईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग कर सकता है।
- 11.2 **P2A:** पर्सन टू अकाउंट फंड ट्रांसफर अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड का उपयोग करके किया जा सकता है।
- 11.3 **P2M** सेवाएँ डेटै प्रणाली के माध्यम से व्यापारी सेवाओं के लिए व्यक्ति। जहां एक ग्राहक मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन का उपयोग करके व्यापारियों को भुगतान कर सकता है।

12. **एसएमएस बैंकिंग**

जब ग्राहक एसएमएस बैंकिंग के माध्यम से सेवा का उपयोग करता है, तो भ्रष्ट चर और डेबिट उस संदेश का हिस्सा होगा, जिसे ग्राहक द्वारा लेनदेन पूरा करने के लिए बैंक को भेजा जा रहा है। यह ग्राहक की जिम्मेदारी होगी कि वह मोबाइल हैंडसेट के मैसेज बॉक्स में भेजे गए आइटम फोल्डर से ऐसे संदेश को डिलीट कर सके, ताकि संभावित दुरुपयोग के खिलाफ ग्राहक और बैंक को हितों की रक्षा हो सके।

13. **रासी कानून और क्षेत्राधिकार**

- 13.1 सुविधा और नियम और तर्तों भारत में लागू कानूनों द्वारा शासित हैं।
- 13.2 सुविधा और / या यहाँ से संबंधित कोई भी वाद या दावा बेंगलुरु में सक्षम न्यायालयों / न्यायाधिकरणों / मंचों के विशेष न्यायालयों के अधीन है और ग्राहक ऐसे विशेष न्यायालयों में सहमत है।

दिनांक: ...../...../.....

स्थान: .....

--	--	--

1st आवेदक के हस्ताक्षर

2nd आवेदक के हस्ताक्षर

3rd आवेदक के हस्ताक्षर



**APPLICATION FOR INTERNET BANKING REGISTRATION**

Name: \_\_\_\_\_ Date of Birth \_\_\_\_\_ DD/MM/YYYY

Mother's Maiden Name \_\_\_\_\_ Father's/Husband's Name : \_\_\_\_\_

E-mail ID \_\_\_\_\_ Mobile Number \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_

Pin Code: \_\_\_\_\_

Customer ID							

A/c Number \_\_\_\_\_

Tick any one

I am having Classic / EMV / Gold / Platinum Debit Card and I request you to permit me online generation of Password with the use of same for validation process.

My address given above is correct and I want my Internet Banking Password to be sent to my address mentioned above.

I/We want to apply for Karnataka Bank Internet banking facility to my/our above customer id(s) and I/We affirm, confirm, and undertake that I/We have read and understood the Terms and Conditions placed on KBL website for usage of the Internet Banking and Bill Payment Service of Karnataka Bank Ltd. and I/We am/are aware of Charges Applicable for the said Services, as set forth in www.karnatakabank .com, and that I/We confirm that I am the sole account holder or I/We have the required mandate from the joint account holder/s to singly operate the accounts and will adhere to all the terms and conditions of opening/applying/availing/maintaining/operating (as applicable) for usage of the Internet Banking, Bill Payment Service of Karnataka Bank Limited as may be in force from time to time. I/We further authorize Karnataka Bank Limited to debit any of my/our Account(s) towards any charges for said services. I/We understand that the Internet Banking facility is Customer ID based and all my present/future account/s under the present user id are likely to be available for viewing/transacting and the same shall be maintained in good faith and any claims/damages/consequent to misuse of the same knowingly/unknowingly shall be indemnified by me.

I/We declare that all the particulars and information given in this application form (and all documents referred or provided therewith) are true, correct, complete and up-to-date in all respects and I/other joint account holders have not withheld any information. I/We understand that certain particulars given by me are required by the operational guidelines governing banking companies. I/We agree and undertake to provide any further information that Karnataka Bank Ltd. may require.

Date :

Place : \_\_\_\_\_

Signature of Account Holder

**MANDATE BY JOINT ACCOUNT HOLDERS**

I/We \_\_\_\_\_ All joint account holders other than the first holder the undersigned are the joint account holders along with \_\_\_\_\_ Applicant's name In account numbers \_\_\_\_\_ Account number under joint name I/We hereby authorize the \_\_\_\_\_ Applicant's name To view/access/operate the account(s) for and on my/our behalf.

I/We affirm, confirm, and undertake that I/We have read and understood the terms and conditions for usage of internet Banking Service of Karnataka Bank Ltd. as displayed on the website [www.karnatakabank.com](http://www.karnatakabank.com) and that I/We agree to abide by them and I confirm and agree that the Bank is not responsible for any of his/her acts done in the capacity of the mandate holder.

I/We hereby state that should I/We wish to revoke the above authorization, I/We shall duly issue a letter of revocation ("the letter of revocation") to Karnataka Bank in this regard. I/We hereby agree that until ten days after receipt of such revocation letter, the authorization as aforesaid shall hold good.

Name & Signature

Name & Signature

**For Branch Use**

Branch Name : \_\_\_\_\_ Branch Code: \_\_\_\_\_

We Certify that:

- The Customer is satisfactorily dealing with us since \_\_\_\_\_ (date)
- The details furnished above are found to be correct with CBS. Since the account fulfills the requirements of Internet Banking please register the Customer.

Entered By

Checked By

Branch Head

Acknowledgement

Thank you for applying Karnataka Bank Internet Banking facility. Your Internet Banking User ID is \_\_\_\_\_  
To Login please visit [www.karnatakabank.com](http://www.karnatakabank.com)

Please feel free to call at 18004251444 or email to ccc@ktkbank.com

Signature with Branch Seal

भेजने वाला

दिनांक:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ग्राहक आईडी

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

खाता संख्या

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

सेवा में / प्रतिलिपि,

गाखा प्रमुख

गाखा को गाखा के नाम और वेस आईडी के रबर स्टाम्प लगानी चाहिए

प्रिय महोदय / महोदया,

विषय: व्यक्तिगत / अतिरिक्त जानकारी प्रदान करना।

मैं आपकी गाखा में अपना उपयुक्त खाता खोलते हुए मेरे प्रति बढ़ाए गए शि टाचार के लिए धन्यवाद देता हूँ। इसके अलावा, मैं स्वेच्छा से निम्नलिखित अतिरिक्त / व्यक्तिगत जानकारी प्रस्तुत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ऐसी अतिरिक्त / व्यक्तिगत जानकारी देना खाता खोलने के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन वैकल्पिक है। मैं आपको अतिरिक्त वित्तीय / व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर बैंक द्वारा समय-समय पर पेश किए जाने वाले तीसरे पक्ष के उत्पादों सहित उपयुक्त वित्तीय योजनाओं / उत्पादों का सुझाव / सलाह देने के लिए अधिकृत और अनुरोध करता हूँ।

वैवाहिक स्थिति:  शादीशुदा  अविवाहित

यदि married, Name of the spouse:  Mr.  Mrs.....

जीवनसाथी की जन्मतिथि:...../...../..... शादी की तारीख: ...../...../.....

Occupation of Spouse: .....

यदि नियोजित: संगठन का नाम: ..... पदनाम / व्यवसाय .....

बच्चों की संख्या: ..... बच्चों की उम्र (वर्षों में): M1..... वर्षों में M2..... वर्षों में F1..... वर्षों में F2..... वर्षों में

(ए) मासिक आय (अनुमानित मूल्य) ₹ .....	मासिक परिणाम (अनुमानित मूल्य) ₹ .....	(स) निवेश / ऋण ईएमआई की मौजूदा जिम्मेदारियाँ .....
व्यवसाय : ₹	भोजन / ट्रेलर / कपड़ा: ₹	ऋण ईएमआई: ₹
व्यवसाय : ₹	शिक्षा: ₹	सीडी / आरडी: ₹
किराए से आय: ₹	स्वास्थ्य: ₹	एसआईपी: ₹
कोई अन्य: ₹	कोई अन्य: ₹	जीवन बीमा प्रीमियम: ₹

(a) एसेट्स (अनुमानित मूल्य): ₹ .....	(b) देयताएं (अनुमानित मूल्य) ₹ .....
वाहन स्वामित्व: <input type="checkbox"/> गाड़ी <input type="checkbox"/> दो पहिया <input type="checkbox"/> भूमि और भवन	मौजूदा ऋण
आवासीय घर: <input type="checkbox"/> पैतृक <input type="checkbox"/> स्वामित्व <input type="checkbox"/> कृषि संपत्ति	<input type="checkbox"/> कार ऋण <input type="checkbox"/> गृह ऋण <input type="checkbox"/> व्यक्तिगत ऋण
<input type="checkbox"/> किराए पर <input type="checkbox"/> नियोजित	<input type="checkbox"/> शिक्षा ऋण <input type="checkbox"/> व्यापार / कृषि
कोई अन्य (निर्दिष्ट करें): .....	अन्य (निर्दिष्ट करें) .....
<input type="checkbox"/> मियादी जमा	

जीवन बीमा पॉलिसी आयोजित  हां  नहीं

स्वीजन बीमा मूल्य (बीमा राशि):  2 लाख तक  5 लाख तक  5 लाख से ऊपर

उसके द्वारा प्रदान किया गया जीवन बीमा:  एलआईसी  पीएनबी मेटलाइफ  अन्य (निर्दिष्ट करें) .....

मेडिकलेम / स्वास्थ्य नीति आयोजित  हां  नहीं

स्यूचुअल फंड्स  टाटा  फ्रैंकलिन टेम्पलटन  रिलाएंस  आईसीआईसीआई  अन्य (निर्दिष्ट करें) .....

आपका आभारी।

हस्ताक्षर



**CPR CSAD खातों के सबसे महत्वपूर्ण नियम और तर्त (MITC)**

**'Know Your Customer' Guidelines**

खाता खोलने की भाती को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति निर्धारित नियमों का पालन करने के लिए सहमत हो सकता है, बचत बैंक खाता खोल सकता है, बशर्त वह बैंक द्वारा आवश्यक सबूत पहचान और पता प्रस्तुत करता हो।

आधिकारिक तौर पर मान्य दस्तावेज	
पहचान का सबूत	पते का प्रमाण
(i) पासपोर्ट	(i) पासपोर्ट
(ii) ड्राइविंग लाइसेंस	(ii) ड्राइविंग लाइसेंस
(iii) पैन कार्ड	(iii) मतदाता पहचान पत्र
(iv) मतदाता पहचान पत्र	(iv) यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड / पत्र
(v) यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड / पत्र	नाम, पता और आधार संख्या का विवरण
नाम, पता और आधार संख्या का विवरण	(v) नरगा द्वारा जारी किया गया जॉब कार्ड, जो राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो
(vi) नरगा द्वारा जारी किया गया जॉब कार्ड, जो राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो	

उपरोक्त दस्तावेजों की अनुपस्थिति में कम जोखिम वाले ग्राहकों के लिए 'सरलीकृत उपाय' के तहत अन्य स्वीकार्य दस्तावेजों के बारे में जानने के लिए कृपया बैंक अधिकारियों से संपर्क करें।

**नामांकन और उत्तरजीविता सुविधा**

बचत बैंक खातों पर नामांकन की सुविधा उपलब्ध है और खाताधारकों को सलाह दी जाती है कि वे विम परिस्थितियों में कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा दावे के सुगम निपटान के लिए इस सुविधा का लाभ उठाएं। नामांकन केवल एक उम्मीदवार के पक्ष में किया जा सकता है। यदि वे नामांकन नहीं करना चाहते हैं, तो यह तथ्य उनके पूर्ण हस्ताक्षर के तहत खाता खोलने के फॉर्म पर दर्ज किया जाना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में उत्तरजीविता लाभ के साथ संयुक्त खाता उत्तरजीवी द्वारा संचालित किया जा सकता है।

**खातों के प्रकार, बैलेंस स्टिपुलेशन और सर्विस चार्ज**

आवेदक चेक बुक सुविधा के साथ या चेकबुक के बिना भी खाता खोल सकते हैं। इन खाता प्रकारों के लिए निर्धारित न्यूनतम मासिक औसत े 1 और न्यूनतम े 1 राशि के रखरखाव के लिए निर्धारित ़ुल्क बैंक की वेबसाइट/तदंजांदाणवउपर उपलब्ध हैं। जानकारी ाखा से भी प्राप्त की जा सकती है। बचत बैंक खाते में अधिकतम े 1 राशि पर कोई सीमा नहीं है।

**खाता कैसे खोलें?**

साधारण तौर पर, खाता खोलने के लिए आवेदक को व्यक्तिगत रूप से बैंक में उपस्थित होना चाहिए। आवेदक निर्धारित आवेदन पत्र को विधिवत रूप से भरेगा और हस्ताक्षर करेगा और उसे हाल ही में लिए गए पासपोर्ट आकार के फोटो की दो प्रतियां प्रस्तुत करनी चाहिए। खाताधारक के हस्ताक्षर सुपाठक और सुव्यवस्थित होने चाहिए। हस्ताक्षर पूंजी या ब्लॉक पत्रों में नहीं होने चाहिए। प्रत्येक खाते को एक विशि ट खाता संख्या दी जाएगी। बैंक के साथ व्यवहार करते समय, यह संख्या हमेशा खाताधारक द्वारा उद्धृत की जानी चाहिए। खाताधारकों को अपने स्वयं के हित में, नमूने के अनुसार एक समान हस्ताक्षर का पालन करने की उम्मीद है। खातों का संचालन करते हुए और बैंक को किसी भी पत्राचार को संबोधित करते हुए बैंक के साथ रिकॉर्ड किया गया।

**पासबुक / खाते का विवरण / ई-स्टेटमेंट**

खाताधारक को आपूर्ति की गई पासबुक और चेक बुक को सुरक्षित स्थान पर रखा जाना चाहिए। बैंक इस संबंध में खाताधारक की उपेक्षा के कारण किसी भी नुकसान या गलत भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। आहरण फार्म के माध्यम से नकदी निकालने के लिए, पासबुक प्रस्तुत की जानी चाहिए। पासबुक के बिना

चेक फॉर्म और डेबिट कार्ड का उपयोग करके निकासी को प्रभावित किया जा सकता है। विधिवत अद्यतन किए गए पिछले लेनदेन के उत्पादन के बिना जमा किए जा सकते हैं। यदि यह एक सप्ताह के भीतर एकत्र नहीं किया जाता है, तो इसे पंजीकृत एडी पोस्ट / कूरियर द्वारा उनकी लागत पर वापस कर दिया जाएगा।

खाताधारकों को अपनी पासबुक में प्रवि टियाँ सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए और यदि कोई त्रुटिया चूक बैंक को बतानी चाहिए।

खोए हुए या कटे-फटे पासबुक के बदले में डुप्लिकेट पासबुक आवश्यक पृछताछ, औपचारिकताओं को पूरा करने और निर्धारित ़ुल्क की वसूली के बाद खाताधारक को जारी किया जाना चाहिए। इसके लिए निर्धारित वर्तमान ़ुल्क बैंक की वेबसाइट/तदंजांदाणवउपर उपलब्ध हैं। यह जानकारी ाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है।

बैंक खाताधारकों को उनके विशि ट अनुरोध पर मासिक विवरण / ई-स्टेटमेंट भी प्रदान कर रहा है।

**बुक चेक करें और रिटर्न चार्ज चेक करें**

बैंक खाता खोलने के संबंध में सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद पहली चेक बुक जारी करेगा। एक कैलेंडर व 1 में पचास चेक पते जारी करने के लिए कोई ़ुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके बाद, ग्राहक के खाते में सेवा ़ुल्क लिया जाएगा। इसके लिए निर्धारित वर्तमान ़ुल्क बैंक की वेबसाइट/तदंजांदाणवउपर उपलब्ध हैं। यह जानकारी ाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है। खाताधारकों को बैंक द्वारा जारी चेक बुक से केवल चेक का उपयोग करना चाहिए। अन्यथा किसी भी चेक के भुगतान से इंकार करने का अधिकार बैंक के पास है। आमतौर पर, बैंक एक बार में या पहले जारी किए गए सभी या लगभग सभी चेक प्रति ं को समाप्त करने से पहले एक से अधिक चेक बुक जारी नहीं करेगा। चेक को कानूनी रूप से लिखा जाना चाहिए। जारी किए गए चेक या खो जाने के संबंध में भुगतान के निर्देशों को रोकें, निर्धारित सेवा ़ुल्क के भुगतान पर बैंक के साथ पंजीकृत किया जा सकता है। जब भी कोई चेक लौटाया जाता है, तो निर्धारित चेक रिटर्न ़ुल्क लगाया जाएगा। इस संबंध में वर्तमान निर्धारित ़ुल्क बैंक की वेबसाइट/तदंजांदाणवउपर उपलब्ध हैं या ाखाओं से प्राप्त किए जा सकते हैं।

**जमा के लिए बीमा कवर**

सभी बैंक डिपॉजिट निश्चित के अधीन डिपॉजिट इश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कम्बोद्व द्वारा दी गई बीमा योजना की सीमा और तर्त के अंतर्गत आते हैं। जारी बीमा कवर का विवरण जमाकर्ता को उपलब्ध कराया जाएगा।

**नियमों में बदलाव**

बैंक को इनमें से किसी भी नियम और सेवा ़ुल्क को बदलने, हटाने या जोड़ने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके लिए ग्राहक को बैंक की वेबसाइट के माध्यम से विधिवतया ाखा नोटिस बोर्ड / एसएमएस / ई-मेल से सूचित किया जाएगा।

**प्रकटीकरण:**

प्राधिकरण या यदि इस तरह के प्रकटीकरण की आवश्यकता घोखाधड़ी के रोकथाम के लिए या सार्वजनिक हित में कानून, नियम और विनियमों या किसी सार्वजनिक या विनियामक के अनुरोध पर खाताधारक की विशि ट सहमति के बिना, बैंक ग्राहक के खाते के बारे में जानकारी का खुलासा या अनुमति दे सकता है।

ग्राहकों के लिए प्रतिबद्धताओं और शिकायत निवारण नीति सहित सभी प्रासंगिक नीतियां ाखाओं में उपलब्ध हैं।

**खाता संचालन**

**सामान्य**

बचत बैंक खाता बचत का निर्माण करने के लिए एक आवश्यक सुविधा है और इसलिए इसका उपयोग व्यापार / वाणिज्यिक लेनदेन के मार्ग के लिए नहीं किया जाना चाहिए। बैंक किसी खाते को बंद कर सकता है,

इसका कोई कारण होना चाहिए कि खाताधारक ने अपने खाते का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया है जिसके लिए उसे अनुमति नहीं है।

#### जमा

खाते में जमा की जाने वाली संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। 10 ए से कम की नकद राशि जमा स्वीकार नहीं की जाएगी। ग्राहक आधार / गैर-आधार / कैंश डिपॉजिट मशीन जहाँ भी स्थापित हो, के माध्यम से अपने खातों में नकदी जमा कर सकते हैं। चेक, ड्राफ्ट या अन्य उपकरण जो केवल खाताधारक के पक्ष में तैयार किए गए हैं, खाते के क्रेडिट के लिए स्वीकार किए जाएंगे। खाताधारक के पक्ष में समर्थन प्राप्त तृतीय पक्ष के उपकरण स्वीकार नहीं किए जाएंगे। स्वीकार किए गए उपकरणों के ड्राइंग की आमतौर पर अनुमति दी जाएगी, जब तक वे महसूस नहीं किए जाते हैं। संतो / जनक रूप से संचालित खातों में तत्काल क्रेडिट के लिए खर्च किया जाएगा, बाहरी उपकरणों से जमा 15,000 तक है, जो समय-समय पर बदल सकते हैं। सामान्य संग्रह और जेब से / ज़ुल्क वसूल किया जाएगा। इसके लिए निर्धारित वर्तमान सीमा और / ज़ुल्क बैंक की वेबसाइट [www.karnatakabank.com](http://www.karnatakabank.com) पर उपलब्ध हैं। यह जानकारी / ग्राहकों से भी प्राप्त की जा सकती है। बाद में अवैतनिक रूप से लौटाए गए उपकरणों के लिए अतिदेय ब्याज की वसूली की जाएगी।

#### निकासी

खाताधारक बैंक के मानक निकासी फॉर्म का उपयोग करके व्यक्तिगत रूप से अपने / अपने सामान्य बचत बैंक खाते से पैसा निकाल सकता है। पास बुक होना चाहिए साथ वापसी प्रपत्र। निकासी फॉर्म का उपयोग केवल खाताधारक द्वारा स्वयं भुगतान प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। एटीएम-कम-डेबिट कार्ड एटीएम में नकद निकासी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खाताधारक 100 से कम राशि नहीं निकाल सकता है। सभी निकासी 1 और केवल गुणक में होगी। निकासी फॉर्म के माध्यम से तीसरे पक्ष के भुगतान की अनुमति नहीं है। प्रति चेक फॉर्म के लिए अनुमत न्यूनतम ड्राइंग 50 तक सीमित है। अधिकतम राशि पर कोई पाबंदी नहीं है, जो चेक के माध्यम से तैयार किया जा सकता है। किसी खाते में दी गई डेबिट प्रविष्टियों की अधिकतम संख्या 50 प्रति छमाही या तय की गई है। बैंक द्वारा समय-समय पर कर्नाटक बैंक एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसे वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से लेनदेन को छोड़कर, प्रभार भुक्त इस सीमा को पार करने के लिए निर्धारित बैंक की वेबसाइट [www.karnatakabank.com](http://www.karnatakabank.com) पर उपलब्ध हैं। यह जानकारी / ग्राहकों से भी प्राप्त की जा सकती है।

#### ओवरड्राफ्ट

बचत बैंक खातों में ओवरड्राफ्ट को केवल पूर्व व्यवस्था के साथ असाधारण परिस्थितियों में अनुमति दी जा सकती है। में / राशि से अधिक की जाँच करता है खाते को अवैतनिक लौटा दिया जाएगा। हर बार एक चेक लौटा दिया जाएगा ताकि पर्याप्त धनराशि के लिए कोई चेक न लौटाया जा सके। इसके लिए निर्धारित / ज़ुल्क बैंक की वेबसाइट [www.karnatakabank.com](http://www.karnatakabank.com) पर उपलब्ध हैं। यह जानकारी / ग्राहकों से भी प्राप्त की जा सकती है।

#### सुप्त / निष्क्रिय खाते

खाताधारक को अपने खाते नियमित रूप से संचालित करने की सलाह दी जाती है। संचालित नहीं किए गए खातों को अंतिम ऑपरेशन के बाद से 24 महीने की अवधि निर्धारित समय के बाद से सुप्त / निष्क्रिय स्थिति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ग्राहक मौजूदा त्रुटि निर्देशों के अनुसार अनुरोध पत्र और नवीनतम ज़लब्दस्तावेज प्रदान करके केवाईसी मानदंडों से अपने खाते को सक्रिय कर सकते हैं। सुप्त / निष्क्रिय खाते के सक्रियण के लिए कोई / ज़ुल्क नहीं होगा।

#### स्थायी निर्देश

खाताधारक बैंक से बीमा प्रीमियम के प्रीमियम भुगतान, सदस्यता / ज़ुल्क आदि के लिए सेवा / ज़ुल्क का भुगतान कर अनुरोध कर सकता है। स्थायी निर्देश के लिए मौजूदा निर्धारित / ज़ुल्क बैंक की वेबसाइट [www.karnatakabank.com](http://www.karnatakabank.com) पर उपलब्ध हैं। यह जानकारी / ग्राहकों से भी प्राप्त की जा सकती है।

#### ब्याज का भुगतान

निर्धारित दर पर ब्याज की गणना एक दैनिक उत्पाद के आधार पर की जाएगी और इसे तिमाही आधार पर खाते में जमा किया जाएगा। ब्याज का भुगतान किया जाएगा यदि यह 1/- या अधिक है और 50 पैसे से कम के अंशों को नजरअंदाज किया जाएगा और 50 पैसे से ऊपर के अंशों को निकटतम रूप तक ले जाया जाएगा।

#### न्यूनतम / राशि का रखरखाव और न्यूनतम / राशि के गैर-रखरखाव के लिए / ज़ुल्क

बचत खाता रखने वाले ग्राहकों के लिए आवश्यक है कि वे अपने खाते की योजनाओं के अनुसार अपने खातों में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखें, जिसके तहत खाता खोला जाता है। निर्धारित न्यूनतम / राशि, बैंक के विवेक पर समय-समय पर संशोधन के अधीन है, एक महीने पहले ग्राहक को नोटिस के साथ एक ही / ग्राहक नोटिस बोर्ड में और भी बैंक की वेबसाइट में प्रदर्शित किया जाएगा। जब भी ग्राहक निर्धारित न्यूनतम / राशि को बनाए रखने में विफल रहता है, तो दंड / ज़ुल्क लगाया जाता है। इस संबंध में वर्तमान निर्धारित / ज़ुल्क बैंक की वेबसाइट [www.karnatakabank.com](http://www.karnatakabank.com) पर उपलब्ध हैं या / ग्राहकों से प्राप्त किए जा सकते हैं।

लेजर फोलियो / ज़ुल्क: बचत बैंक खातों के लिए लेजर फोलियो / ज़ुल्क नहीं लगाया जाएगा।

#### एसएमएस अलर्ट

एसएमएस अलर्ट की सुविधा उपलब्ध है और ग्राहक इस सुविधा के लिए निरु / ज़ुल्क पंजीकरण कर सकते हैं। एसएमएस अलर्ट के लिए मौजूदा निर्धारित / ज़ुल्क बैंक की वेबसाइट [www.karnatakabank.com](http://www.karnatakabank.com) पर हैं या / ग्राहकों से प्राप्त किए जा सकते हैं।

#### स्थानांतरण और खाता बंद करना

खाताधारक के अनुरोध पर खातों को बैंक की / ग्राहकों के बीच स्थानांतरित किया जा सकता है। खाता बंद करने के अनुरोध के लिए कारण बताना चाहिए बंद करना। पास बुक, अप्रयुक्त चेक पत्तियों को इस तरह के अनुरोध के साथ होना चाहिए। ऐसे सभी संयुक्त हस्ताक्षरकर्ताओं के अनुरोध पर ही संयुक्त खाते बंद किए जा सकते हैं। सर्विस यदि खाता खोलने के बारह महीने के भीतर बंद हो जाता है, तो निर्धारित दर पर / ज़ुल्क वसूल किया जाएगा। इसके लिए निर्धारित वर्तमान / ज़ुल्क बैंक की वेबसाइट [www.karnatakabank.com](http://www.karnatakabank.com) पर उपलब्ध हैं। यह जानकारी / ग्राहकों से भी प्राप्त की जा सकती है। हालाँकि, पहले जमा की दिनांक से 14 दिनों की अवधि तक खाता बंद किया जाता है, तो कोई / ज़ुल्क नहीं लगाया जाता है।

विस्तृत नियम बैंक की वेबसाइट [www.karnatakabank.com](http://www.karnatakabank.com) पर और अनुरोध पर सभी / ग्राहकों में उपलब्ध हैं।